प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
'प्रज्ञा', विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष/फैक्सः (0522) 2720293/2720627/2720461

प्रशिक्षण निर्देश–पुस्तिका
(*Training Manual*)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

एक सरल विवेचना

संजीव 'कृष्ण' शर्मा
सहायक निदेशक

प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान

'प्रज्ञा', विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष/फैक्सः (0522) 2720293/2720627/2720461

आमुख

(*Foreword*)

प्रस्तुत पुस्तिका 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की विवेचना है जो इस संस्थान के सहायक निदेशक श्री संजीव 'कृष्ण' शर्मा द्वारा एक प्रशिक्षण निर्देश–पुस्तिका (*Training Manual*) के रूप में तैयार की गई है। इसके पहले श्री शर्मा इस विषय पर आधारित एक पुस्तक अंग्रेजी में लिख चुके हैं जिसका शीर्षक *'How to Read & Understand Law along with A Layman Commentary on The Right to Information Act, 2005'* है।

प्रस्तुत पुस्तिका को विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि इसे राजभाषा हिन्दी में तैयार किया गया है जिससे हिन्दी भाषी क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त जन–सामान्य को भी लाभ हो सकता है।

सभी से अनुरोध है कि इस पुस्तिका में दी गई जानकारी से लाभ प्राप्त करते हुये अपने सकारात्मक सुझाव इस संस्थान को प्रेषित करें जिससे कि भविष्य में इस पुस्तिका को समय–समय पर संशोधित तथा परिमार्जित किया जा सके।

सोमवार, 31 जनवरी, 2011

(आर.पी. श्रीवास्तव)
निदेशक
प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
लखनऊ

प्रस्तावना

'सूचना का अधिकार, 2005' **भारत का एक महत्वपूर्ण अधिनियिम है** जो लोक प्राधिकारियों के कार्य मे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम हमारे देश के 21वीं शताब्दी में कदम रखने का प्रतीक है तथा इस अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जन–सामान्य को एक बड़ा लोकतांत्रिक शस्त्र प्रदान किया गया है, जिसकी सहायता से *'लालफीताशाही'* तथा *'भ्रष्टाचार'* जैसी बुराइयों से लड़ा जा सकता है।

इस **अधिनियम की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें *'Shall'* शब्द का प्रयोग बार–बार किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि लोक प्राधिकारी सम्बन्धित प्रावधानों का पालन करने के लिये बाध्य हैं।**

किसी भी **अधिनियम** (*Act*) **की उददेशिका** (*Preamble*) **में उसकी आत्मा निहित होती है। अतः आगे बढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि हम इस अधिनियम की उददेशिका** (*Preamble*) **का एक बार ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें**

(ii)

उक्त अधिनियिम की उद्देशिका (*Preamble*) निम्न शब्दों से प्रारम्भ होती है:–

''प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण (working) में
पारदर्शिता (transparency) और उत्तरदायित्व (accountability)
के संवर्धन के लिए,
लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए,
नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने,
एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और
उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने
के लिए अधिनियिम''

उद्देशिका में आगे लिखा है:–

''भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है:
और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है,
और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से सम्भवतः अन्य लोक हितों,
जिनके अन्तर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है,
और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाये रखते हुए इन विरोधी हितो के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है,
अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए,
भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–''

(iii)

उक्त से यह स्पष्ट है कि **इस अधिनियम को लागू करते समय सरकार के समक्ष इसके उदेश्य भली–भाँति परिभाषित थे। यह भी स्पष्ट है कि इस अधिनियम को लागू करने मे आने वाली कठिनाइयों से भी सरकार भली–भाँति परिचित थी, परन्तु फिर भी *'लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता'* तथा *'जनसामान्य के प्रति उत्तरदायित्व'* को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया।**

उक्त अधिनियम वर्ष 2005 से प्रभावी है तथा इसकी जनोपयगिता के कारण यह लगातार चर्चा में रहा है। परन्तु **दुर्भाग्यवश आज भी जन–सामान्य को इस सम्बन्ध में समुचित जानकारी नहीं है। साथ ही यह भी पाया गया है कि अनेक 'लोक सेवक' भी इस अधिनियम के प्रावधानों से भली–भांति परिचित नहीं है।**

उक्त कारणोंवश इस अधिनियम के लागू होने के पांच वर्ष पश्चात् भी वांछित परिणाम नहीं निकल पायें हैं तथा, परिणामस्वरूप, *'केन्द्रीय सूचना आयोग'* तथा *'राज्य सूचना आयोगों'* के पास आवश्यकता से अधिक मामले अपीलों के रूप में पहुंच रहे हैं **तथा इस सम्बन्ध में विवाद दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है जिसका मुख्य कारण जन–सामान्य को विधिक–प्रावधानों का समुचित ज्ञान न होना है।उक्त स्थिति के कारणों की विवेचना करने पर हम निम्न कारणों को केन्द्र बिन्दु में पाते हैं–**

- ***विधि (Law) सम्बन्धी सामग्री पढ़ने तथा समझने में जन–सामान्य के समक्ष आने वाली कठिनाइयां।***
- ***विधि (Law) सम्बन्धी सामग्री के सरल प्रस्तुतिकरण (easy presentation) का अभाव।***
- ***विधि (Law) सम्बन्धी सामग्री की 'जन सामान्य की भाषा अर्थात् सरल हिन्दी' में अनुपलब्धता।***

(iv)

जहां कहीं भी हिन्दी में विधि–सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध है, उसकी भाषा–शैली इतनी किलष्ट है कि वह सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से परे है तथा उसे पढ़कर जन–सामान्य को यह लगने लगता है कि इससे आसान तो अंग्रेजी में पढ़ना ही था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये यह विचार उत्पन्न हुआ कि **यदि जनसामान्य को *'सूचना का अधिकार अधिनियम'* की सरल विवेचना उनकी अपनी भाषा अर्थात् सरल हिन्दी में सरल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाये, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान सरलता से हो जायेगा क्योंकि जनसामान्य को इस अधिनियम के विषय में समुचित जानकारी होने के कारण वे अपने अधिकार का सही एवं समुचित प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही ऐसे लोक–सेवक, *जो विधि–सम्बन्धी या अंग्रेजी–सम्बन्धी ज्ञानाभाव के कारण इस अधिनियम के प्रावधानों को ठीक तरह से नहीं समझ पाते,* वह भी इस सरल पाठ्य–सामग्री की सहायता से अपने दायित्वों का समुचित निर्वाह कर पायेंगे। इस प्रकार जनसामान्य की भाषा में इस अधिनियम की सरल विवेचना विवादों को न्यूनतम स्थिति में ला सकती है।**

'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' एक छोटा परन्तु प्रभावशाली अधिनियम है, जिसमें छः अध्याय हैं। पाठकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये **इस पुस्तिका में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के केवल चार अध्यायों के प्रावधानों पर चर्चा की गई है जो निम्नलिखित हैः–**

अध्याय–1 *(धारा 1 से 2)*	प्रारम्भिक (परिभाषाओं सहित) *[Preliminary (including definitions)]*
अध्याय–2 *(धारा 3 से 11 तक)*	'सूचना का अधिकार' तथा लोक प्राधिकारियों की बाध्यतायें' *[Right to Information and Obligations of Public Authorities]*
अध्याय–5 *(धारा 18 से 20 तक)*	'सचूना आयोगों की शक्तियाँ' एवं कृत्य, 'अपील' तथा 'शास्तियां' *[Powers & Functions of the Information Commissions, Appeals & Penalties]*
अध्याय–6 *(धारा 21 से 29 तक)*	प्रकीर्ण (विविध) *[Miscellaneous]*

'अध्याय–3' (धारा 12 से 14) तथा 'अध्याय–4' (धारा 15 से 17) 'केन्द्रीय सूचना आयोग' तथा 'राज्य सूचना आयोग' के गठन तथा नियमन से सम्बन्धित है तथा इनका जनसामान्य के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं है।

विधि सम्बन्धी मामलों को सही स्वरूप में समझने के लिये सम्बन्धित प्रावधानों पर क्रम–बद्ध चर्चा होना मूलरूप से आवश्यक है तथा साथ ही यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि चर्चा मूल–बिन्दुओं तक ही केन्द्रित रहे – अन्यथा भटकाव की संभावना बनी रहती है। अतः उक्त तकनीकी पक्षों, मानव–मस्तिष्क की ग्राह्यता तथा पाठकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये इस पुस्तिका में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के केवल चार अध्यायों के प्रावधानों पर ही चर्चा की गई है।

पाठकों की सुविधा के लिये पुस्तक को तीन भागों में बांटा गया है – भाग 'अ','ब' तथा 'स'।

- **भाग 'अ' में** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के **उक्त चार अध्यायों के प्रावधानों की क्रम–बद्ध तरीके से बिन्दुवार सरल विवेचना है** जो सरल ग्राह्यता के दृष्टिकोण से जन–सामान्य के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।
- **भाग 'ब' में 'सूचना' तथा 'सूचना का अधिकार' सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण तथा संदेश हैं** जो लोक सेवकों तथा जन–सामान्य को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान करते हैं।
- **भाग 'स' में आयकर विभाग से सम्बन्धित केन्द्रीय सूचना आयोग के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का सारगर्भित वर्णन है** जो कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हैं।

इस पुस्तिका की निम्नलिखित तीन मुख्य–विशिष्टतायें हैं:–

प्रथम विशिष्टता:– इस पुस्तिका की **प्रथम विशिष्टता** यह है कि **इसमें विधि** *(Law)* **की सरल विवेचना जन–सामान्य की भाषा अर्थात् सरल हिन्दी में की गई है।** साथ ही यह भी ध्यान मे रखा गया है कि भाषा–शैली भी जन–सामान्य के अनुरूप हो। **भाषा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव शुद्ध एवं उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। परन्तु साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया है कि भाषायी शुद्धता हमें हमारे मुख्य उद्देश्य अर्थात् *'पाठकों की विधि सम्बन्धी प्रावधानों की सरल ग्राह्यता'* से दूर न कर दे।** इसलिये कुछ स्थानों पर भाषायी शुद्धता के सम्बन्ध में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है तथा **साथ ही कठिन हिन्दी शब्दों का प्रचलित अंग्रेजी अनुवाद साथ ही कोष्ठक** *(Bracket)* **में कर दिया गया है।**

द्वितीय विशिष्टताः– इस पुस्तिका की **दूसरी बड़ी विशिष्टता** इसमें **विधि सम्बन्धी सामग्री** ***(Law related material)*** **का सरल प्रस्तुतीकरण** ***(Easy Presentation)*** **है** जो लेखक की पुस्तक *'How to Read & Understand Law'* से प्रेरित है। **विधि सम्बन्धी उपबंधों** (Legal Provisions) **को लिखने का एक विशिष्ट तकनीकी पक्ष होता है जो उपबंधों के विधिक प्रयोग** ***(Legal Application)*** **के लिये आवश्यक होता है। परन्तु यही तकनीकी पक्ष जन–सामान्य की सरल गृहता में बाधक सिद्ध होता है। सरल प्रस्तुतीकरण के माध्यम से काफी हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।**

उदाहरणार्थ इस अधिनियम में वर्णित प्रथम परिभाषा अर्थात समुचित सरकार ***(Appropriate Govt.)*** **की परिभाषा सम्बन्धी प्रावधानों को देखते हैंः–**

सूचना का अधिकार अधिनियम में 'समुचित सरकार' की हिन्दी में परिभाषाः–

''समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के सम्बन्ध में जो–

''केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा प्रचुरता पूर्वक वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है।''

सरल प्रस्तुतीकरण के माध्यम से 'समुचित सरकार' की परिभाषा

धारा 2(a) – समुचित सरकार' (Appropriate Govt.)

समुचित सरकार' (Appropriate Govt.) से आशय किसी ऐसे 'लोक–प्राधिकरण (Public Authority) के सम्बन्ध में है

जो

केन्द्र सरकार / संघ राज्य क्षेत्र / राज्य सरकार द्वारा
(Central Govt.) (Union Territory) (State Govt.)

–स्थापित, (Established)
–गठित, (Constituted)
–स्वामित्वाधीन, (Owned)

–नियंत्रणाधीन, (Controlled) अथवा

–प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (directly or indirectly) प्रचुर मात्रा में वित्त पोषित (substantially financed) हों।

आइये इस सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टता के लिये अगली महत्वपूर्ण परिभाषा अर्थात् 'सूचना' की परिभाषा का अवलोकन करें

सूचना का अधिकार अधिनियम में 'सूचना' हिन्दी में परिभाषाः–

धारा 2(f) – सूचना (*Information*)

''सूचना' से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आँकड़ों सम्बन्धी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, किसी रूप में कोई सामग्री, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, अभिप्रेत है।''

(ix)

सरल प्रस्तुतीकरण के माध्यम से 'सूचना' की परिभाषा

- *'सूचना' से अभिप्राय किसी रूप में किसी सामग्री से है।*
- *'सूचना' में निम्न सम्मिलित है:–*

(i)	*अभिलेख*	*(Records).*
(ii)	*दस्तावेज़*	*(Documents).*
(iii)	*ज्ञापन*	*(Memos).*
(iv)	*ई–मेल*	*(e-mails).*
(v)	*मत*	*(Opinions).*
(vi)	*सलाह*	*(Advices).*
(vii)	*प्रेस विज्ञप्ति*	*(Press release).*
(viii)	*परिपत्र*	*(Circulars).*
(ix)	*आदेश*	*(Orders).*
(x)	*लाग–बुक*	*(Log-books).*
(xi)	*संविदा*	*(Contract).*
(xii)	*रिपोर्ट*	*(Report).*
(xiii)	*कागज–पत्र*	*(Papers).*
(xix)	*नमूने*	*(Samples).*
(xx)	*माडल*	*(Models).*
(xvi)	*इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित डाटा मैटीरियल*	
(xvii)	*किसी निजी निकाय (Private Body) से सम्बंधित ऐसी सूचना*	

जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी (Public Authority) की पहुँच हो सकती है।

प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अतः उक्त सरल प्रस्तुतीकरण की शैली के विषय में आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

(x)

<u>तृतीय विशिष्टताः–</u> इस पुस्तिका की **तीसरी बड़ी विशिष्टता** यह है कि **इसमें आयकर विभाग से सम्बन्धित केन्द्रीय सूचना आयोग के कुछ अति–महत्वपूर्ण निर्णयों का वर्णन है** तथा **भारत सरकार द्वारा परिपत्रों/ज्ञापनों** (*Circulars/Memorandums*) **के माध्यम से समय–समय पर जारी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर स्पष्टीकरणों तथा सदेशों का भी समुचित वर्णन है** जो न केवल उचित दिशा– –निर्देश का कार्य करेगें वरन् अनेक सम्भावित विवादों को भी समाप्त कर देगें।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' सामान्य जन हेतु एक अत्यन्त शक्तिशाली 'लोकतांत्रिक शस्त्र' है परन्तु किसी भी अन्य 'शस्त्र' की भांति इस 'लोकतांत्रिक शस्त्र' का भी 'विवेकपूर्ण उपयोग' आवश्यक है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन करते समय यह समझना अत्यन्त आवश्यक है कि किसी भी लोक सूचना अधिकारी को उसके पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुये ही 'सूचना' प्रदान करनी होती है तथा 'सूचना' प्रदान करने में लगने वाले संसाधन किसी अन्य 'लोक हित' के कार्य में प्रयुक्त हो सकते हैं।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि इस अधिनियम का अधिक दुरूपयोग होने पर आने वाले समय में लोक प्राधिकारियों के पास 'लोक–मंगल' के कार्य हेतु अपेक्षाकृत कम समय बचेगा तथा ऐसे में यह लोकतांत्रिक शस्त्र सामान्यजन से वापस लेने की मांग तेजी से उठने लगेगी। <u>अतः यह अतिआवश्यक है कि इस मजबूत लोकतांत्रिक शस्त्र का सीमित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग हो तथा इसके लिये सरकार एवं जनता दोनों के स्तर पर कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।</u>

(xi)

उक्त अधिनियम का गत पांच वर्ष का अनुभव यह बताता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जो आवेदन प्राप्त हुये हैं उनमें से अनेक आवेदनों का 'लोकहित' से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा मांगी गई अनेक सूचनायें भी 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' में वर्णित 'सूचना' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती थी। अंततः इन आवेदनों को केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ऐसे आवेदनों में लगे लोक हित के बहुमूल्य 'संसाधनों तथा समय' का दूसरा समुचित उपयोग हो सकता था। अतः यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि इस अधिनियम के प्रयोग के समय निम्न बातों को सुनिश्चित कर लिया जाये :–

(i) इस अधिनियम का प्रयोग किसी तीसरे–पक्ष से निजी शत्रुता की भावना से तो नहीं किया जा रहा है?

(ii) इस अधिनियम का प्रयोग अपने किसी निजी शौक *(जिसका लोकहित से कोई सम्बन्ध न हो)* को पूरा करने के लिये तो नहीं किया जा रहा है?

(iii) इस अधिनियम का प्रयोग किसी लोक प्राधिकारी या किसी लोक संगठन को परेशान करने के लिये तो नहीं किया जा रहा है?

साथ ही सरकार के स्तर पर यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित हो कि समस्त लोक प्राधिकारियों सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनायें स्वतः ही जनसामान्य के लिये समय–2 पर प्रकाशित होती रहें जिससे कि जनता को इस अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े।

इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(2) को यहां उद्धत करना महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार हैं:–

"प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिये उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।"

इस सम्बन्ध में भारत के नव–निर्वाचित मुख्य सूचना आयुक्त श्री अनुग्रह नारायण तिवारी जी के विचार भी महत्वपूर्ण है। पद संभालने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में उन्होंने कहा, *सरकार को मेरा प्रस्ताव है कि वह उन दस्तावेतों की नकारात्मक सूची तैयार करे जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। शेष फाइलें खोल देनी चाहिये। आर.टी.आई. एक्ट इस्तेमाल किये बिना ही इन तक जनता की पहुंच होनी चाहिये। आर.टी.आई. तब श्रेष्ठ परिणाम देता है जब इसका कम से कम इस्तेमाल किया जाय। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था में आर. टी.आई. अधिनियम का इस्तेमाल उन दस्तावेजों और रिकार्डों तक ही सीमित रहेगा जिन्हें खुली श्रेणी में नहीं लाया गया है और इस तरह पारदर्शिता कानून और कारगर बनेगा।*

{आभारः दैनिक जागरण, लखनऊ 02 अक्टूबर, 2010}

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा उनके अपने स्तर पर 'लोक–सेवकों' के लिये समय–समय पर इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने आवश्यक हैं तथा जन–सामान्य की सहज ग्राह्यता हेतु राज–भाषा में समय–समय पर मार्गदर्शिका भी संकलित करनी चाहिये। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार ने इस संदर्भ में विधिक प्रावधान किये हैं जिसके संदर्भ हेतु 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा 26 के उपबन्ध निम्न हैं–

धारा 26

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना–

(1) केन्द्रीय सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तकः

क. जनता की विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिये कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाय शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी,

ख. लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिये प्रोत्साहित कर सकेगी,

ग. लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किये जाने को बढ़ावा दे सकेगी,

घ. लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिये सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेग।,

(2) ***समुचित सरकार*** *इस अधिनियम के प्रारम्भ से अठारह मास के भीतर* ***अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।***

उपर्युक्त विधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम को लागू करते हुये सरकार की यह मंशा रही है कि राजभाषा में इस विषय पर एक ऐसी सहज एवं बोधगम्य मार्गदर्शिका उपलब्ध हो जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधिक प्रावधानों की सरल एवं युक्तियुक्त विवेचना प्रदान कर सके।

आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु इस महत्वपूर्ण अधिनियम पर राजभाषा में सरल मार्गदर्शिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, अतः प्रयास किया गया है कि यह पुस्तिका इस कमी को पूरा कर दे। इसके अतिरिक्त यह पुस्तिका 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के सीमित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग (*विशेषतः आयकर विभाग के संदर्भ में*) से सम्बन्धित जन–जागरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आशा है कि यह पुस्तिका विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त जन–सामान्य के लिए भी अति–उपयोगी सिद्ध होगी तथा इस महत्वपूर्ण अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

भारत के सभी निवासियों को सादर शुभकामनाओं सहित

दिनांकः बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2011

संजीव 'कृष्ण'
सहायक निदेशक
प्रत्यक्ष कर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान,
गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0)

भाग–अ

'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'

विधिक प्रावधानों की क्रम–बद्ध एवं बिन्दुवार सरल विवेचना

अध्याय 1

प्रारम्भिक

यह अधिनियम का प्रथम अध्याय है तथा इस अध्याय की मुख्य विशेषता अधिनियम में प्रयोग किये गये *'विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषायें'* हैं। इस अध्याय के प्रावधानों की क्रम–बद्ध तरीके से बिन्दुवार सरल विवेचना निम्नलिखित है:–

धारा–1

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

- इस अधिनियम का नाम **'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'** है।
- इसका **विस्तार सम्पूर्ण भारत** *(जम्मू काश्मीर राज्य को छोड़कर)* **पर** है।

धारा–2

परिभाषायें

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

इस धारा में कुछ महत्तवपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है उदाहरणार्थ–*'समुचित सरकार', 'केन्द्रीय सूचना आयोग', 'केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी', 'मुख्य सूचना आयुक्त', 'सूचना आयुक्त', 'सक्षम प्राधिकारी', अभिलेख, लोक प्राधिकारी, 'सूचना का अधिकार', 'राज्य सूचना आयोग', 'राज्य मुख्य सूचना आयुक्त', 'राज्य लोक सूचना अधिकारी', 'पर–व्यक्ति'* आदि।

उपरोक्त में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषाओं का विवरण निम्न है:–

धारा 2(a) – समुचित सरकार (*Appropriate Govt.*)

धारा 2(h) – लोक प्राधिकारी (*Public Authority*)

धारा 2(f) – सूचना (*Information*)

धारा 2(j) – सूचना का अधिकार (*Right to Information*)

धारा 2(i) – अभिलेख (*Record*)

धारा 2(n) – पर–व्यक्ति (*Third Party*)

उक्त परिभाषायें 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की विवेचना में आधार–स्तम्भ का कार्य करती हैं। अतः इस अधिनियम के प्रयोग हेतु इनको भली–भांति समझना अति–आवश्यक है। **उक्त वर्णित परिभाषाओं की सरल व्याख्या निम्नलिखित है:–**

धारा 2(a) – समुचित सरकार (*Appropriate Govt.*)

'समुचित सरकार' **(Appropriate Govt.) से आशय** किसी **ऐसे** *'लोक–प्राधिकरण'* (*Public Authority*) **के सम्बन्ध में है**

जो

केन्द्र सरकार / **संघ राज्य क्षेत्र**/ **राज्य सरकार** **द्वारा**

(*Central Govt.*) (*Union Territory*) (*State Govt.*)

–**स्थापित**,

–**गठित,**

–**स्वामित्वाधीन,**

–**नियंत्रणाधीन**, ***अथवा***

–**प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से** (*directly or indirectly*) **प्रचुर मात्रा में वित्त पोषित** (*substantially financed*) **हों।**

धारा 2(f) सूचना (*Information*)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

- **'सूचना'** से अभिप्राय **किसी रूप में किसी सामग्री** से है।
- **'सूचना'** में **निम्न सम्मिलित** है:–

(i) **अभिलेख** (*Records*).
(ii) **दस्तावेज़** (*Documents*).
(iii) **ज्ञापन** (*Memos*).
(iv) **ई–मेल** (*e-mails*).
(v) **मत** (*Opinions*).
(vi) **सलाह** (*Advices*).

(vii) **प्रेस विज्ञप्ति** *(Press release).*

(viii) **परिपत्र** *(Circulars).*

(ix) **आदेश** *(Orders).*

(x) **लाग–बुक** *(Log-books).*

(xi) **संविदा** *(Contract).*

(xii) **रिपोर्ट** *(Report).*

(xiii) **कागज–पत्र** *(Papers).*

(xix) **नमूने** *(Samples).*

(xx) **माडल** *(Models).*

(xvi) **इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित डाटा मैटीरियल**

(xvii) किसी **निजी निकाय** ***(Private Body)*** **से सम्बंधित ऐसी सूचना**

जिस तक तत्समय प्रवृत्त **किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी** ***(Public Authority)*** **की पहुँच हो सकती है**।

धारा 2(j) – सूचना का अधिकार *(Right to Information)*

- ***'सूचना के अधिकार'*** *(Right to Information)'* **से अभिप्राय** ***'इस अधिनियम के अन्तर्गत पहुँच योग्य ऐसी 'सूचना'*** *से है* जो किसी **लोक–प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा नियंत्रणाधीन है।**

- **'सूचना के अधिकार'** *(Right to Information)* **में निम्न अधिकार सम्मिलित हैं:–**

(i) ***कृति,*** *(Work)* ***दस्तावेजों,*** *(Documents)* ***अभिलेखों*** *(Records)* ***का निरीक्षण***

(ii) ***दस्तावेजों या अभिलेखों*** *(Documents or Records) के* ***'टिप्पण'*** *(Notes)* ***'उद्धरण'*** *(Extract)* ***या 'प्रमाणित प्रतिलिपि'*** *(Certified Copies) लेना*

(iii) ***सामग्री*** *(material)* ***के प्रमाणित नमूने*** *(Certified Samples) लेना*

(iv) *जहाँ सूचना किसी* ***कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति*** *(device)* ***में भण्डारित*** *है वहाँ* ***'डिस्केट', 'फ्लापी', 'टेप', 'वीडियो कैसेट' के रूप में या 'प्रिन्ट आउट' के माध्यम से सूचना को प्राप्त करना***

धारा 2(i) – अभिलेख (*Record*)

अभिलेख (*Record*) में निम्नलिखित सम्मिलित है:–

(i) कोई **दस्तावेज** *(Document)* **पाण्डुलिपि** *(Manuscript)* **तथा फाइल** ।

(ii) किसी **दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश तथा प्रतिकृति प्रति (***Facsimile copy***)** ।

(iii) ऐसी **माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन** *(चाहे विस्तारित रूप में हो या न हो)*

[Any production of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not)]

(iv) किसी **कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति (***device***)द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री**

धारा 2(n) – पर–व्यक्ति (*Third Party*) [तीसरी पार्टी]

- *'पर–व्यक्ति' (Third Party)* से अभिप्राय *सूचना के लिये अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति से है।*
- *'पर–व्यक्ति' (Third Party)* के अन्तर्गत कोई अन्य *'लोक–प्राधिकारी'* भी सम्मिलित हैं।

धारा 2(h) – लोक प्राधिकारी (*Public Authority*)

- *'लोक प्राधिकारी' (Public Authority)* से आशय ऐसे *'प्राधिकारी' (Authority)* अथवा निकाय *(Body)* अथवा स्वायत्त सरकारी संस्था *(Institution of Self-Govt.)* से है जो निम्न में से किसी एक प्रकार से गठित अथवा स्थापित होः–
  –संविधान *(Constitution)* द्वारा या उसके आधीन
  - संसद *(Parliament)* द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा
  - राज्य विधान मण्डल *(State Legislature)* द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा
  - समुचित सरकार *(Appropriate Govt.)* द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा
- कोई ऐसा निकाय *(Body)* अथवा गैर–सरकारी संगठन *(Non- Govt. Organozation)* जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों के द्वारा वित्त पोषित हो,

अध्याय 2

सूचना का अधिकार

तथा

लोक प्राधिकारियों की बाध्यतायें

(Right to Information and Obligations of Public Authorities)

यह अध्याय इस अधिनियम का एक **अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्याय** है क्योंकि **इसमें 'सूचना के अधिकार' सम्बन्धित लोक प्राधिकाारियों की बाध्यताओं** (*Obligations of Public Authorities*) **का वर्णन है।**

इस **अध्याय की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण** बात यह है कि **सम्बन्धित प्रावधानों में बार–बार** Shall **शब्द का प्रयोग** किया गया है **जिसका अर्थ है कि सम्बंधित लोक प्राधिकारी** (*Public Authority*) **इन प्रावधानों** (*Provisions*) **का पालन करने के लिये बाध्य हैं। इस अध्याय के प्रावधानों की क्रम–बद्ध तरीके से बिन्दुवार सरल विवेचना निम्नलिखित हैः–**

धारा 3

सूचना का अधिकार

(*Right to Information*)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

- *इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये* **नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।**
- **'सूचना के अधिकार' के सम्बन्ध में नागरिकों में कोई विभेद** (*Discrimination*) **नहीं होगा**।

धारा 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यतायें

(*Obligations of Public Authorities*)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

- **प्रत्येक *'लोक प्राधिकारी'* (*Public Authority*)अपने सभी अभिलेख को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित (*Catalogued*) और अनुक्रमणिकाबद्ध (*Indexed*) कर ऐसी रीति और रूप में रखेगा,** जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है *(facilitate करता है)* **और सुनिश्चित करेगा** कि **ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटीकृत किये जाने के लिए समुचित है,** युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए **कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्ध हो** जिससे कि ऐसे आलेख तक पहुंच को सम्भव बनाया जा सके।

- प्रत्येक *'लोक प्राधिकारी'* (**Public Authority**) *महत्वपूर्ण नीतियों की विवेचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय,* जो जनता को प्रभावित करते हों, **सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा**।
- प्रत्येक *'लोक प्राधिकारी'* (**Public Authority**) **प्रभावित व्यक्तियों** ***(affected persons)*** **को अपने प्रशासनिक** ***(administrave)*** **या न्यायिककल्प** ***(quassi-judical)*** **विनिश्चयों** (***decisions)*****के लिए कारण उपलब्ध कराएगा**।
- प्रत्येक *'लोक प्राधिकारी'* (**Public Authority**) **अपने 'संगठन की विशिष्टियाँ**, *'कृत्य' और 'कर्तव्य', 'संगठन के अधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य' 'अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान', 'धारित अथवा नियंत्रणाधीन दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण' 'धारित अथवा उपलब्ध इलेक्ट्रानिक सूचना के ब्यौरे', 'अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका' इत्यादि* **प्रकाशित करेगा तथा तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन** (*Update*) **करेगा**।
- **प्रत्येक लोकाधिकारी का निरन्तर यह प्रयास होगा कि वह, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न माध्यमों से** (*जिनके अन्तर्गत इन्टरनेट भी है*) **इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े।**

- **उक्त कार्य हेतु प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से** और ऐसे प्रारूप और रीति में **प्रसारित किया जायेगा**, जो जनता के लिये सहज रूप से पहुँच के योग्य हो।
- **समस्त सामग्री को स्थानीय भाषा में और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यन्त प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुये प्रसारित किया जायेगा**, जो जनता के लिये सहज रूप से पहुँच के योग्य हों।
- **उक्त वर्णित कार्य में लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखा जायेगा** तथा **यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि सम्बन्धित सूचना अधिकारी के पास सूचना** (*जहां तक सम्भव हो* _____) **इलेक्ट्रानिक रूप में आसानी से उपलब्ध हो**।

धारा 5

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम

(*Designation of Public Information Officers*)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

- **प्रत्येक *'लोक प्राधिकारी'*** (*Public Authority*) **सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में** यथास्थिति ***'लोक सूचना अधिकारियों'*** (*Public Information Officers*) **के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित (*designate*) करेगा जितने इस अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के लिये आवश्यक हों**।

- इसी प्रकार **उप मण्डल या उप जिला स्तर पर *'सहायक लोक सूचना अधिकारियों'* की नियुक्ति** की जायेगी **जिनका कार्य नागरिकों से सूचना सम्बन्धी आवेदन पत्र प्राप्त करके** उन्हें **'लोक सूचना अधिकारी' अथवा *'अपीलीय प्राधिकारी'* अथवा *'केन्द्रीय सूचना आयोग'* अथवा *'राज्य सूचना आयोग'* को अग्रेषित (*forward*) करना होगा**।
- यदि ***'सूचना'* के लिये आवेदन *'सहायक लोक सूचना अधिकारी'* के पास प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में *'लोक सूचना अधिकारी'* को सूचना प्रदान करने के लिये 05 अतिरिक्त दिन मिलेंगे**।
- **सूचना की मांग** करने वाले व्यक्तियों **के अनुरोध पर प्रत्येक *'लोक सूचना अधिकारी'* कार्यवाही करेगा** और **ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता** (*reasonable assistance*) **प्रदान करेगा।**
- ***'लोक सूचना अधिकारी'* ऐसे किसी अन्य अधिकारी से सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझें।** ऐसी स्थिति में **सम्बन्धित अधिकारी *'लोक सूचना अधिकारी'* की सहायता करेगा** तथा **इस सम्बंध में किसी उल्लघंन के प्रयोजनो हेतु ऐसे *'अन्य अधिकारी'* को *'लोक सूचना अधिकारी'* समझा जायेगा।**

धारा 6

सूचना प्राप्त करने के लिये अनुरोध

(*Request for Obtaining Information*)

प्रमुख बिन्दु (Salient features)

- जो **व्यक्ति** इस अधिनियम के आधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है वह **लिखित में अथवा इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से *'लोक सूचना अधिकारी'* अथवा *'सहायक लोक सूचना अधिकारी'* के समक्ष आवेदन कर सकता है।**
- उक्त **आवेदन निम्न भाषाओं में** किया जा सकता है:–

(i) **अंग्रेजी**।

(ii) **हिन्दी**।

(iii) **सम्बन्धित क्षेत्र की राजभाषा**। (*जैसे* ***पंजाबी पंजाब में, मलयालम केरल में, मराठी महाराष्ट्र में***)

- **सूचना प्राप्ति हेतु मौखिक रूप से अनुरोध नहीं किया जा सकता है**। **परन्तु जहां ऐसा अनुरोध किया गया हो, वहाँ** यथा स्थिति, **'लोक सूचना अधिकारी' अनुरोध करने वाले व्यक्ति को समस्त युक्तियुक्त सहायता** (*reasonable assistance*) **प्रदान करेगा जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके**।

- **सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन विहित** (*prescribed*) **शुल्क जमा करवा कर ही** किया जा सकता है। *(जो कि रू.10/–है)*
- **सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति से *'सूचना प्राप्ति का कारण'* नहीं पूछा जायेगा** तथा **न ही उससे कोई व्यक्तिगत विवरण मांगा जायेगा**।
- **आवेदक से केवल उतना विवरण मांगा जा सकता है जो उससे सम्पर्क करने हेतु आवश्यक हो**।
- **यदि** किसी **आवेदन में किसी ऐसी सूचना के लिये अनुरोध किया गया है *जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है*** *या जिसकी विषय–वस्तु किसी अन्य लोक–प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से सम्बन्धित है* तो **लोक सूचना अधिकारी ऐसे आवेदन या उसके भाग को *(जो समुचित हो)* उस अन्य लोक प्राधिकारी को अधिकाधिक 05 दिनों के भीतर स्थानान्तरित करेगा तथा इस विषय में आवेदक को सूचना देगा**।

धारा 7

अनुरोध का निपटारा

(Disposal of Request)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

- धारा 6 के अन्तर्गत **सूचना का अनुरोध विहित शुल्क** *(prescribed fee)* **के साथ प्राप्त होने पर** ***'लोक सूचना अधिकारी'*** **यथासम्भव शीघ्रता से** तथा **किसी भी दशा में अनुरोध–प्राप्ति के तीस दिन के भीतर: आवेदक को सूचना उपलब्ध करवायेगा अथवा** ***धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।***
- **जहां मांगी गई जानकारी का सम्बन्ध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता** से है, **वहां** वह **अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी।**
- यदि, **लोक–सूचना अधिकारी उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है** तो **यह मान लिया जायेगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।**

- जहां सूचना प्रदान कराने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क लेने के रूप में अतिरिक्त शुल्क लेने का निर्णय किया जाना है *तो सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे शुल्क का ब्यौरा भेजना होगा* तथा *उक्त संसूचना के प्रेषण और शुल्क के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि में शामिल नहीं किया जायेगा।*
- यदि ऐसा व्यक्ति जिसे सूचना उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निशक्त *(sensory disabled)* है। वहाँ *'लोक सूचना अधिकारी' ऐसे व्यक्ति को समुचित सहायता उपलब्ध करवायेगा (इसमें निरीक्षण के लिये सहायता भी सम्मिलित है।)*
- जहाँ सूचना तक पहुंच किसी मुद्रित या इलेक्ट्रानिक रूप में प्रदान की जानी है वहां आवेदक को विहित शुल्क प्रदान करनी होगी।
- सूचना प्राप्त करने हेतु विहित शुल्क न्यायोचित होगा तथा गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों से किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जायेगा।
- यदि लोक प्राधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने में असफल रहता है तो यह सूचना बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करावाई जायेगी।

- जहां किसी सूचना सम्बंधी अनुरोध को धारा 7(1) के अन्तर्गत अस्वीकृत किया गया है वहां 'लोक सूचना अधिकारी' अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्न के विषय में सूचना प्रदान करेगा–
  - ऐसी अस्वीकृति के लिये कारण
  - वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध अपील की जा सकेगी
  - अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां
- सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध करवाया जायेगा जिसमें उसे मांगा गया है, *जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपातिक रूप से विचलित न करता हो* अथवा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

धारा 8

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट

(Exemption from disclosure of information)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगीः–

- सूचना, जिसके प्रकटन से *भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर* प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो
- सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या
  जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है
- सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा
- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर–व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, *जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से वृहत्तर लोक हित का समर्थन होता है*

- **किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना,** *जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से वृहत्तर लोक हित का समर्थन होता है*
- किसी **विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना**
- **सूचना जिसको/जिसे प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा**
- **सूचना, जिससे अपराधियों के *अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया* में अड़चन पड़ेगी**
- **मंत्रिमण्डल के कागजपत्र,** *जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं*

परन्तु यह कि **मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री** *जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे,* **विनिश्चय किये जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगें।**

परन्तु यह और कि **वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अन्तर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किये जाएंगे।**

- **सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा,** *जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन वृहत्तर लोक हित में न्यायोचित है।*

परन्तु ऐसी **सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधानमण्डल को देने से इंकार नहीं किया सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।**

- **यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। तो शासकीय गुप्त बात अधिनियम,** 1923 (1923 का 19) में उपधारा (1) **के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुच अनुज्ञात की जा सकेगी,**

- धारा 8(1) के अधीन रहते हुए **किसी ऐसी घटना, वृत्तान्त या विषय से सम्बंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से**, *जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है,* **बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी** उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को **उपलब्ध कराई जायेगी**

परन्तु यह कि जहां **उस तारीख के बारे में**, *जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है,* **कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां** इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए **केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।**

धारा 9

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार

(Grounds for rejection to access in certain cases)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ***'लोक सूचना अधिकारी'*** **सूचना के अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन होता हो।**

धारा 10

पृथक्करणीयता

(*Severability*)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

- जहां पर **किसी व्यक्ति के सूचना सम्बन्धी अनुरोध को इसलिये अस्वीकार किया जाता है कि उसका कुछ भाग ऐसी सूचना के सम्बन्ध में है जिसे प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त है।**, **वहां** सूचना प्रदान किये जाने योग्य वाले **उतने भाग को उपलब्ध कराया जायेगा जिसे छूट प्राप्त सूचना से युक्तियुक्त रूप से अलग किया जा सकता हो।**
- **उक्त स्थिति में *'लोक सूचना अधिकारी'* यह सूचना *'आवेदक'* को देगा। इसके अतिरिक्त *'पृथक्कीकरण के कारणों', 'इसके लिये ली जाने वाली संगणित अतिरिक्त शुल्क (यदि कोई हो)'*** तथा ***'इस सम्बंध में अपील के अधिकारी'*** सम्बन्धी सूचनायें भी आवेदक को देगा।

धारा 11

पर–व्यक्ति सूचना

(*Third Party Information*)

प्रमुख बिन्दु (***Salient features***)

- जहां किसी आवेदन पर यदि *'लोक सूचना अधिकारी'* कोई ऐसी सूचना प्रदान करना चाहता है *जो किसी पर–व्यक्ति से सम्बन्धित हो तथा उस 'पर–व्यक्ति' द्वारा उस सूचना को गोपनीय माना गया हो,* ऐसी स्थिति में वह आवेदन के पांच दिन के भीतर सम्बन्धित *'पर–व्यक्ति'* को इस सम्बन्ध में लिखित रूप में सूचित करेगा तथा *'पर–व्यक्ति'* की इस सम्बन्ध में *'लिखित या मौखिक निवेदन'* के लिये आमंत्रित करेगा। सूचना के प्रकटन के संदर्भ में विनिश्चय करते समय ऐसे *'पर–व्यक्ति'* के निवेदन को ध्यान में रखा जायेगा।
- यदि *'लोक हित' 'व्यक्तिगत हितों की सम्भावित क्षति'* से अधिक महत्वपूर्ण है, तो ऐसे मामलों में *(विधि द्वारा संरक्षित गुप्त व्यापारिक/वाणिज्यक बातों को छोड़कर)* ***'पर–व्यक्ति'*** सम्बंधी सूचना का प्रकटन किया जा सकता है।
- *'पर–व्यक्ति सम्बन्धी सूचना'* के संदर्भ में दिये गये लिखित नोटिस के प्रत्युत्तर के लिये सम्बन्धित *'पर–व्यक्ति'* को 10 दिन का समय दिया जायेगा।
- उक्त स्थिति में *'लोक सूचना अधिकारी'* को सूचना सम्बन्धी विनिश्चय के लिये 40 दिन का समय मिलेगा।
- *'पर–व्यक्ति सम्बन्धी सूचना'* प्रदान किये जाने की स्थिति में पर–व्यक्ति को भी धारा 19 के अन्तर्गत अपील करने का अधिकार होगा।

अध्याय V

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां *(Powers and Functions of the Information Commissions Appeal & Penalties)*

इस अध्याय में इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील की प्रक्रिया का विवरण है तथा साथ ही दोषी पाये गये 'लोक–सूचना अधिकारी' के विरूद्ध की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही का भी वर्णन है। इस अध्याय के प्रावधानों की क्रम–बद्ध तरीके से बिन्दुवार सरल विवेचना निम्नलिखित हैः–

धारा–18

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य
(Powers and Functions of Information Commissions)

- केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करेः–

(क) जो अपना अनुरोध प्रस्तुत करने में इसलिये असमर्थ रहा है कि ऐसे किसी लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।
अथवा

सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके अनुरोध–पत्र की अग्रेषित करने से इंकार कर दिया है।

(ख) जिसे इस अधिनियिम के अधीन मांगी गई किसी जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है।

(ग) जिसे अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर 'सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए' अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है।

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है।

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण या भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना प्रदान की गई है,

- जहाँ यथा स्थिति केन्द्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस सम्बन्ध में संतुष्ट हैं कि उस विषय में जांच करने के लिये युक्तियुक्त आधार (*Reasonable Basis /Ground*) है, वहां वह उसके सम्बन्ध में जांच आरम्भ कर सकेगा।

- इस धारा के अन्तर्गत किसी मामले की जांच करते समय यथास्थिति केन्द्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होगी जो किसी सिविल न्यायालय मे निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध मे सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 के अधीन किसी वाद का विवरण करते समय निहित होती है:

  (क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना।

  (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।

  (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को प्राप्त करना।

  (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना।

  (ङ) साक्ष्य या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना *और*

  (च) कोई अन्य विषय/मामला, जो विहित किया गया हो।

- किसी अन्य अधिनियम मे अंतर्विष्ट किसी अंसगत बात के होते हुये भी, यथास्थिति, **केन्द्र सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच के दौरान**, **ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा** ***जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है*** और**ऐसे किसी भी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जायेगा**।

धारा–19

अपील
(Appeal)

- **ऐसा कोई व्यक्ति जिसे** धारा 7(1) अथवा धारा 7 (3) मे **विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है** अथवा **जो लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, वह तीस दिन** *(विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति अथवा विनिश्चय प्राप्ति के पश्चात)* **के भीतर ऐसे अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में** यथास्थिति, **लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ–पंक्ति का है**।
- **'पर–व्यक्ति' से सम्बन्धित सूचना प्रकट किये जाने सम्बन्धी** धारा11 के अन्तर्गत **विनिश्चय के विरूद्ध अपील की स्थिति में अपील उस आदेश के तीस दिन के भीतर की जायेगी।**
- **यदि अपीलीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवरित किया गया था, तो ऐसी स्थिति में वह 30 दिन की अवधि के उपरान्त भी अपील को ग्रहण कर सकता है।**

- धारा 19(1) के अर्न्तगत **अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष होगी जो 90 दिवस की अवधि के अर्न्तगत दाखिल की जायेगी**।
- यदि **केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस बात से संतुष्ट है** कि **अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवरित किया गया था, तो ऐसी स्थिति में वह 90 दिन की अवधि के उपरान्त भी अपील गृहण कर सकता है**।
- **यदि लोक सूचना अधिकारी का निर्णय किसी पर–व्यक्ति सूचना *(Third Party Information)* के सम्बन्ध मे है, तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग ऐसे पर–व्यक्ति *(Third Party)* को सुनवाई हेतु एक युक्तियुक्त अवसर देगा।**
- **किसी भी अपीलीय कार्यवाही के दौरान लोक सूचना अधिकारी** *(जिसने सूचना के अनुरोध को अस्वीकृत किया था)* **पर यह साबित करने का भार होगा कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था।**
- धारा 19(1) तथा 19(2) के अर्न्तगत **दाखिल की गई अपीलों का निपटारा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों में किया जायेगा**।
- **अपीलीय प्राधिकारी अपील का निर्णय 30 दिनों की अपेक्षा 45 दिनों में भी कर सकता है**, *परन्तु इसके लिये अपीलीय प्राधिकारी को लिखित में कारण रिकार्ड पर रखने होंगे*।
- **केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय आबद्धकर *(binding)* होगा**।

अपने विनिश्चिय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है:–

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अर्न्तगत निम्नलिखित भी हैं–

- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना।
- यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना।
- कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना।
- अभिलेखों के 'अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश' *(maintenance, management & destruction of records)* से सम्बन्धित अपनी पद्धतियों मे आवश्यक परिर्वतन करना।
- अपने अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण को बढ़ाना।
- धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण मे अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना।

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना।

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

- यथास्थिति, **केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी** (*जिसके अर्न्तगत अपील का कोई अधिकारी भी सम्मलित है*) **को, अपने विनिश्चिय** *(decision)* **की**, **सूचना देगा।**
- यथास्थिति, **केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय** *(decision)* **ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा**, **जो विहित** *(prescribe)* **की जाए**।

धारा–20

शास्ति

(Penalties)

- किसी **शिकायत अथवा अपील का विनिश्चय करते समय केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक दिन की देरी हेतु रू0 250/– प्रतिदिन की दर से लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति (*penalty*) अधिरोपित (*impose*) कर सकता है**।
- तथापि **ऐसी शास्ति की कुल रकम रू0 25,000/– से अधिक नहीं होगी।**
- उक्त **शास्ति** (*penalty*) **उस दशा में अधिरोपित** *(impose)* **की जायेगी जहां केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यदि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निम्न में से कोई कृत्य किया है**:–

(अ) **सूचना हेतु आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है।**

(ब) **विनिर्दिष्ट या समय–सीमा के भीतर** धारा 7 (1) के अर्न्तगत **सूचना प्रदान नहीं की है**।

(स) सूचना के अनुरोध को 'असदभावना' से अस्वीकार किया है।

(द) जान–बूझकर गलत अधूरी या भ्रामक सूचना प्रदान की है।

(ल) उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी।

(ड़) किसी भी रीति से सूचना प्रदान करने में बाधा डाली है।

- उक्त दशाओं में शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर (*Reasonable Opportunity*) प्रदान किया जायेगा।
- उक्त कार्यवाही के दौरान लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परता पूर्वक कार्य किया है।
- उक्त दशाओं में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 'सम्बन्धित सेवा नियमों' के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सिफारिश करेगा।

अध्याय VI

प्रकीर्ण *(Miscellaneous)*

इस अध्याय में विभिन्न विविध प्रावधानों का वर्णन है जो 'सूचना का अधिकार अधिनियम' को वास्तविक रूप में लागू करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस अध्याय के प्रावधानों की क्रम–बद्ध तरीके से बिन्दुवार सरल विवेचना निम्नलिखित हैः–

धारा 21

सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण
(Protection of action taken in good faith)

प्रमुख बिन्दु–

- 'सूचना का अधिकार अधिनियम' तथा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सदभावना पूर्वक किये गये कृत्य संदर्भ में कोई वाद, *(suit)* अभियोजन *(prosecution)* या अन्य विधिक कार्यवाही *(other legal proceedings)* नहीं की जा सकेगी।

धारा 22

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
(Act to have overriding effect)

प्रमुख बिन्दु–

- इस अधिनियम *(Act)* के उपबन्ध *(Provisions)* '***शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1993***' *(Official Secrets Act)* तथा ***अन्य विधि में लिखित किसी असंगत बात के होते हुये भी*** प्रभावी होगें।

धारा 23

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

(*Bar of Jurisdictions of Courts*)

प्रमुख बिन्दु–

- कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी आदेश के सम्बन्ध में कोई वाद/आवेदन/अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा।
- इस अधिनियिम के अधीन किये गये किसी आदेश को, इस अधिनियिम के अधीन किसी अपील के रूप में के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

धारा 24

अधिनियम का कतिपय संगठनों पर लागू न होना

(Act not to apply to Certain Organizations)

प्रमुख बिन्दु–

- इस अधिनियम *(Act)* में अंतर्विष्ट *(contained)* कोई बात केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी *जो इस अधिनियम (Act) की दूसरी अनुसूची (II schedule) में विनिर्दिष्ट (specified) हैं।*
- परन्तु भ्रष्टाचार *(corruption)* तथा मानवाधिकार उल्लंघन *(human rights violation)* से सम्बन्धित सूचनायें इस प्रावधान *(provision)* के अन्तर्गत अपवर्जित *(excluded)* नहीं होगी।
- परन्तु यदि मांगी गई सूचना मानवधिकारों के अतिक्रमण से सम्बन्धित भी है तो भी यह सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जायेगी तथा अनुरोध प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर ही दी जायेगी।
- केन्द्रीय सरकार, राजपत्र *(official gazette)* में किसी अधिसूचना *(notification)* द्वारा इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची *(II schedule)* में संशोधन *(amendment)* कर सकेगी। परन्तु ऐसी प्रत्येक अधिसूचना संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।
- इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें भी अपने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। परन्तु ऐसी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल *(state legislative)* के समक्ष रखी जायेगी।

धारा 25

मानीटर करना तथा रिपोर्ट करना

(Monitoring & Reporting)

प्रमुख बिन्दु–

- **केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग**, **प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात्** यथा साध्यशीघ्रता से उस वर्ष के दौरान इस **अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।**
- **जो सूचना इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिये अपेक्षित है, ऐसी सूचनाओं को प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में, एकत्रित करेगा** और **उन्हें केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करायेगा।**
- **प्रत्येक रिपोर्ट में सम्बन्धित वर्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित के बारे में कथन होगा**:–

  (क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किये गये अनुरोधों की संख्या।

  (ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहाँ आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबन्ध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किये गये थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबन्धों का अवलम्ब लिया गया था।

(ग) केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष।

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की विशिष्टियां।

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारी की रकम।

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिये लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं।

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, ।

- **केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात्, यथासाध्य शीघ्रता से** *(as soon as practicable)* **उक्त रिपोर्ट की प्रति**, यथास्थिति, **संसद या विधान मण्डल के समक्ष रखेगी**।
- यदि **केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है** कि **इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा**।

धारा 26

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना

(Appropriate Govt. to prepare programmes)

प्रमुख बिन्दु–

(क) केन्द्रीय सरकार ***वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक*** .

- *जनता की (विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की) इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिये शैक्षणिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी।*
- *लोक प्राधिकारियों को, निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी।*
- *लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी को समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किये जाने को बढ़ावा दे सकेगी।*
- *लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वंय के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेंगी।*

(ख) **समुचित सरकार** इस अधिनियम के प्रारम्भ से अठारह मास के भीतर **अपनी राजभाषा में**, सहज व्यापक रूप और रीति से **ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम मे विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।**

(ग) **समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो, तो निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों** *(guidelines)* **को नियमित अंतरालों** *(regular intervals)* **पर अद्यतन** *(update)* **और प्रकाशित** *(publish)* **करेगी, जिनमें** विशिष्टतया और बिना उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले **निम्नलिखित सम्मिलित होगा**:–

- *इस अधिनियम के उद्देश्य।*
- *धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नम्बर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रानिक डाक पता।*
- *वह रीति और प्रारूप, जिसमें यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जायेगा।*
- *इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य।*
- *यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता।*

- *इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के सम्बन्ध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे मे विधि मे उपलब्ध सभी उपचार जिनके अन्तर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है।*
- *धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध।*
- *किसी सचूना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के सम्बंध मे संदत्त की जाने वाली फीसों से सम्बन्धित सूचनायें। और*
- *इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के सम्बन्ध में बनाये गए या जारी किये गये कई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।*

(घ) **समुचित सरकार** को, यदि आवश्यक हो, **नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अद्यतन *(update)* और प्रकाशित *(publish)* करना चाहिए**।

धारा 27

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति

(Power to make rules by appropriate Government)

प्रमुख बिन्दु–

(क) **समुचित सरकार**, *इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए* **राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।**

(ख) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, **ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे**, **अर्थात्**

- *धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य।*
- *धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय शुल्क।*
- *धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय शुल्क*
- *धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंध और शर्ते।*
- *धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।*
- *कोई अन्य विषय/मामला, जो विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाय।*

धारा 28

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति

(Power to make rules by competent authority)

प्रमुख बिन्दु–

(क) **सक्षम प्राधिकारी**, *इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये* **राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा।**

(ख) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, **ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे**, **अर्थात्**

- *धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य।*
- *धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय शुल्क।*
- *धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय शुल्क और*
- *कोई अन्य मामला, जो विहित किये जाने के अपेक्षित हो या विहित किया जाय।*

धारा 29

नियमों का रखा जाना

(Laying of Rules)

प्रमुख बिन्दु–

- **केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम** यथाशीघ्र **संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा**, जब वह 30 दिन की अवधि के सत्र में हो (*30 दिन की अवधि दो या अधिक सत्रों को मिलाकर भी हो सकती है।*)
- यदि उक्त वर्णित सत्र/सत्रों को समाप्ति पर दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जायें कि ऐसा नियम नहीं बनाया जायेगा या इस नियम में कुछ परिवर्तन होना चाहिए तो दोनों सदनों के ऐसे निर्णय के अनुसार ही विधि बनाई जायेगी।
- इस धारा के अधीन बनाया गया **प्रत्येक नियम अधिसूचित करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य–विधानमण्डल के समक्ष रखा जायेगा।**

धारा 30

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(Power to remove difficulties)

प्रमुख बिन्दु–

- इस अधनियिम के प्रभावी होने के उपरान्त 2 वर्ष की अवधि तक केन्द्र सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार था जो इस अधिनियम को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सके।

(***चूंकि 2 वर्ष का समय बीत चुका है, अतः इस प्रावधान का अब कोई महत्व नहीं है।***)

धारा 31

प्रमुख बिन्दु–

- **सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, 2002** *(Freedom of Information Act,2002)* **इस अधिनियम द्वारा निरस्त** हो गया है।

भाग–ब

'सूचना'
तथा
'सूचना के अधिकार'
के सम्बन्ध में कुछ
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

इस सम्बन्ध में चर्चा करने से पूर्व **'सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005' की धारा 2 में 'सूचना', 'सूचना का अधिकार' तथा 'अभिलेख सम्बन्धी परिभाषाओं का अवलोकन आवश्यक है** :–

धारा 2(f) – सूचना (*Information*)

'सूचना' से किसी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आँकड़ों सम्बन्धी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, किसी रूप में कोई सामग्री, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, अभिप्रेत है।

धारा 2(j) – सूचना का अधिकार (*Right to Information*)

'सूचना का अधिकार' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है–

कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।

दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि देना।

सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।

डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियों कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां–ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना।

धारा 2(i) – अभिलेख (*Record*)

'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल।

किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति।

ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वृद्धित रूप में हो या न हो) और

किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

इस सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टता के लिये, आइये इन प्रावधानों के प्रमुख बिन्दुओं का पुनरावलोकन भी कर लिया जाय जो निम्नलिखित हैः–

धारा 2(f) – सूचना (*Information*)

प्रमुख बिन्दु (*Salient features*)

- **'सूचना'** से **अभिप्राय किसी रूप में किसी सामग्री** से है।
- **'सूचना'** में **निम्न सम्मिलित** हैः–

(i) अभिलेख (*Records*).
(ii) दस्तावेज़ (*Documents*).
(iii) ज्ञापन *(Memos).*
(iv) ई–मेल *(e-mails).*
(v) मत *(Opinions).*
(vi) सलाह *(Advices).*
(vii) प्रेस विज्ञप्ति *(Press release).*
(viii) परिपत्र *(Circulars).*
(ix) आदेश *(Orders).*
(x) लाग–बुक *(Log-books).*
(xi) संविदा *(Contract).*
(xii) रिपोर्ट *(Report).*
(xiii) कागज–पत्र *(Papers).*
(xix) नमूने *(Samples).*
(xx) माडल *(Models).*
(xvi) इलेक्ट्रोनिक रूप में घारित डाटा मैटीरियल
(xvii) किसी निजी निकाय *(Private Body)* से सम्बंधित ऐसी सूचना जिस तक तस्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधीन किसी लोक प्राधिकारी *(Public Authority)* की पहुँच हो सकती है।

धारा 2(j) – सूचना का अधिकार *(Right to Information)*

- *'सूचना के अधिकार' (Right to Information)'* **से अभिप्राय** ***'इस अधिनियम के अन्तर्गत पहुँच योग्य ऐसी 'सूचना'*** *से है* जो किसी **लोक–प्राधिकारी द्वारा** **धारित है अथवा नियंत्रणाधीन है**
- **'सूचना के अधिकार'** ***(Right to Information)*** **में निम्न अधिकार सम्मिलित हैं:–**

(i) ***कृति,*** *(Work)* ***दस्तावेजों,*** *(Documents)* ***अभिलेखों*** *(Records)* ***का निरीक्षण***

(ii) ***दस्तावेजों या अभिलेखों*** *(Documents or Records) के* ***'टिप्पण'*** *(Notes)* ***'उद्धरण'*** *(Extract)* ***या 'प्रमाणित प्रतिलिपि'*** *(Certified copies) लेना।*

(iii) ***सामग्री*** *(material)* ***के प्रमाणित नमूने*** *(certified samples) लेना*

(iv) *जहाँ सूचना किसी* ***कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति*** *(device)* ***में भण्डारित*** *है वहां* ***'डिस्केट', 'फ्लापी', 'टेप', 'वीडियो कैसेट' के रूप में या 'प्रिन्ट आउट' के माध्यम से सूचना को प्राप्त करना।***

धारा 2(i) – अभिलेख (*Record*)

अभिलेख (*Record*) में निम्नलिखित सम्मिलित है:–

(i) कोई **दस्तावेज** *(document)* **पाण्डुलिपि** *(manuscript)* **तथा फाइल**।

(ii) किसी **दस्तावेज** *(document)* **की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश तथा प्रतिकृति प्रति** *(facsimile copy)* ।

(iii) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन *(चाहे वृद्धित रूप में हो या न हो)*

[Any production of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not)]

(iv) किसी **कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति** *(device)* **द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री**

उक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अन्तर्गत 'सूचना' अमूर्त अवधारणा *(Abstract Concept)* **नहीं है।**

धारा 2 (*f*) के अन्तर्गत सूचना को किसी सामग्री (*material*) **के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें '*रिकार्ड*', '*दस्तावेज*' '*इलेक्ट्रानिक रूप में डाटा*' आदि सम्मिलित है** तथा **'सूचना के अधिकार' के अन्तर्गत एक नागरिक को यह सामग्री देखने तथा इसकी प्रतियां लेने का अधिकार है जो 'फोटो कापी' 'फ्लापी' आदि के रूप में ली जा सकती है। 'सूचना के अधिकार' के लिये यह भी महत्वपूर्ण है कि 'सूचना' किसी लोक प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके नियंत्रणाधीन धारित हो।**

उक्त से यह स्पष्ट है कि 'सूचना के अधिकार' के प्रयोग के लिये निम्नलिखित दो अर्हता शर्तें (*elgibility conditions*) हैं :–

प्रथम :– सूचना सामग्री के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए।

द्वितीय :– सूचना किसी लोक प्राधिकारी द्वारा धारित अथवा नियंत्रणाधीन होनी चाहिए।

खेद का विषय है कि इस अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे 'सूचना' 'सूचना' का अधिकार' तथा 'लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य' आदि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ गलत अवधारणायें प्रचलित हैं जिनका समाप्त होना जन–हित में अति आवश्यक है।

विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भारत सरकार *(कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय)* द्वारा जारी स्पष्टीकरण जन–सामान्य के लिये स्वयं सरकार द्वारा किसी भी विवादित विषय पर दिये गये स्पष्टीकरण से बढ़कर कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। अतः इस पुस्तिका में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सरकारी स्पष्टीकरणों के माध्यम से ही प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा निम्न प्रकार से हैः–

1. ऐसा पाया गया है कि कुछ व्यक्ति अपनी सुविधानुसार उनके द्वारा तैयार किये गये एक निश्चित प्रपत्र में ही सूचना मांगते हैं तथा कुछ व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से यह आशा करते हैं कि वह 'सूचना–सामग्री' से कुछ निर्णयात्मक तथ्य खोज कर उनको प्रदान करें। ऐसे व्यक्ति अक्सर अधिनियम की धारा 7(9) का सहारा लेते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसे मामलों का निवारण किस प्रकार किया जाए?

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन (सं01/69/2007 आई.आर.) दिनांक 27 फरवरी, 2008 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है

''.....अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियन्त्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना, या सूचना की व्याख्या करना, या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं को समाधान करना, या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।.....''

इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन (सं011/2/2008 आई.आर.) दिनांक 10 जुलाई, 2008 के माध्यम से एक वृहत स्पष्टीकरण भी दिया है जो निम्न है: *''.यह देखा गया है कि सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत कुछ लोग लोक सूचना अधिकारियों से किसी दस्तावेज में जानकारी ढूंढ कर उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं। कुछ मामलों में, आवेदक लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें सूचना उनके द्वारा तैयार किये गये किसी विशेष प्रपत्र में दी जाय। ऐसी मांग को वे धारा 7 की उपधारा (9), जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जानकारी सामान्यतः उस रूप में दी जायेगी जिस रूप में मांगी गई है, के आधार पर अपना अधिकार मानते हैं। यह नोट करना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान का मतलब सिर्फ इतना भर है कि यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मांगी गई है तो छायाप्रति के रूप में मुहैया कराई जाए और यदि फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया कराया जाए इत्यादि। इसका अर्थ यह नहीं है कि 'लोक सूचना अधिकारी' 'सूचना' को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया कराएगा।*

2. अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार 'सूचना' का अर्थ 'किसी भी रूप में कोई भी सामग्री' है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नागरिक को लोक प्राधिकरण से ऐसी 'सामग्री' प्राप्त करने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है। इस अधिकार में शामिल हैं– कार्य दस्तावेजों, अभिलेखों की जांच, नोट, उद्धरण अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां लेना सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लापी, टैप वीडियो कैसेट अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रानिक मोड अथवा प्रिंट आउट के रूप में जानकारी लेना बशर्ते कि वह जानकारी कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य यंत्र में संग्रहीत हो। 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह 'सामग्री' से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गए 'निष्कर्ष' को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को 'सामग्री' उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।''

2. कई बार लोक प्राधिकारियों के पास ऐसी सूचना के लिये आवेदन प्राप्त होते हैं, जो उन से सम्बन्धित नहीं होती। कभी–कभी ऐसी सूचना मांगी जाती है, जिसका कुछ भाग ही उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होता है या कोई भी उसके पास उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सूचना का कुछ भाग या पूरी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण या अन्य कई लोक प्राधिकरणों से सम्बन्धित होती है। प्रश्न उठता है कि ऐसे मामलों का निवारण किस प्रकार किया जाए?

इस सम्बन्ध में सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 10/2/2008 आई.आर. दिनांक 12 जून, 2008 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है:–

"..... सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देगा। धारा 6(3) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिये आवेदन प्राप्त होता है, जो दूसरे लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है या जिसकी विषय–वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यों से निकटतर रूप से सम्बन्धित है, तो वह लोक प्राधिकरण जिसे आवेदन दिया गया है, आवेदन को सम्बन्धित लोक प्राधिकारण को अंतरित कर देगा। धारा 6 की उपधारा (1) और उप धारा (3) के प्रावधानों के ध्यानपूर्वक पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपना आवेदन 'सम्बन्धित लोक प्राधिकरण' के 'लोक सूचना अधिकारी' को सम्बोधित करे। फिर भी, ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें सामान्य समझ वाला व्यक्ति यह माने कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना उस 'लोक प्राधिकरण' के पास उपलब्ध होगी, जिसको कि उसने आवेदन किया है, जबकि वास्तव में वह सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास होती है। ऐसे मामलों में आवेदक से गलत लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करने की समझ में आने वाली गलती होती है। किन्तु, जहां आवेदक ऐसे लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिए आवेदन दे, जो किसी भी सामान्य समझ वाले व्यक्ति को मालूम हो कि वह सूचना, उस लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है, तो आवेदक 'सम्बन्धित लोक प्राधिकरण' को आवेदन भेजने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता।

3. ऐसे मामलों मे उत्पन्न होने वाली कुछ स्थितियां और उप–स्थितियों में लोक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

i) *कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिये किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी दूसरे लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है। ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना अधिकारी को आवेदन सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देना चाहिए और इसकी सूचना आवेदक को भी दे देनी चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का लोक सूचना अधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी सम्बन्धित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए, तो उसे आवेदक को सूचित कर देना चाहिए कि मांगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी। यदि लोक सूचना अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ कोई अपील की जाती है, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के विवरण का पता लगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाये थे।*

ii) *कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी 'दूसरे लोक प्राधिकरण' के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में, लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए सम्बन्धित दूसरे लोक प्राधिकरण के पास भेज देनी चाहिए।*

iii) *कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से सम्बन्धित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिये वह सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग–अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध हैं, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बन्धित*

लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन दे। स्मरणीय है कि अधिनियम के अन्तर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार–क्षेत्र में हों, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का सम्बन्ध किसी 'लोक प्राधिकरण विशेष' से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किये जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपधारा (3) में 'दूसरे लोक प्राधिकरण' का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में।

vi) *यदि कोई व्यक्ति किसी केन्द्रीय लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना के लिए आवेदन करता है, जो किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित कर देना चाहिए कि सूचना सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त की जाए। ऐसी स्थिति में, आवेदन को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।"*

3. कुछ लोक–सूचना अधिकारी उक्त वर्णित स्पष्टीकरणों का गलत अर्थ निकालते हुये सूचना आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर देते हैं जिससे जन–सामान्य को अत्यन्त कठिनाई होती है। प्रश्न उठता है कि ऐसे मामलों का निवारण किस प्रकार किया जाए?

इस सम्बन्ध में सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 10/2/2008 आई.आर. दिनांक 1 जून, 2009 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है

"इस विभाग के दिनांक 12 जून, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा–3 के खण्ड (iii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नानुसार कहा गया है:–

''सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना, सूचना का सृजन किया माना जाएगा। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है।''

2. केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक अपील निपटान करते समय यह टिप्पणी की है कि सूचना के एकत्र किये जाने को सूचना का सृजन नहीं माना जा सकता और चाहा है कि उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन को संशोधित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम को टाला जा सके।

3. मुझ यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 12.06.2008 के का.ज्ञा. में यह कहना प्रस्तावित नहीं है कि सूचना का एकत्र किया जाना स्वभावतः सूचना का सृजन है। उपर्युक्त वक्तव्य इस बात को बलपूर्वक कहने के लिये दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग–अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करें।''

4. सरकार के पारम्परिक तौर–तरीकों के अनुसार 'फाइल नोटिंग' को गोपनीय माना जाता है। अतः सरकारी अधिकारियों के समक्ष समय–समय पर यह यक्ष प्रश्न उठता रहा है कि वे फाइल नोटिंग का प्रकटन कर सकते हैं या नही?

इस सम्बन्ध में सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1/20/2009 आई.आर. दिनांक 23 जून, 2009 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है:–

"..... विभिन्न मंत्रालय/विभाग आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत फाइल नोंटिग के प्रकटन के बारे में स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है ऐसी फाइल नोटिंग, जिसमें अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है।"

5 'तीसरे पक्ष' सम्बन्धी सूचना के प्रकटन से सम्बन्धित क्रियाविधि के सम्बन्ध में अनेक संशय विद्यमान हैं। यह संशय और भी बढ़ जाते हैं यदि तीसरा पक्ष का कोई अन्य 'लोक प्राधिकारी' है। क्या इस सम्बन्ध में सराकर द्वारा कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है?

इस सम्बन्ध में सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 8/2/2010 आई.आर. दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है:—

".....अधिनियम की धारा 11 में 'तीसरे पक्ष' की सूचना के प्रकटन की क्रियाविधि दी गई है। इसके अनुसार, यदि काई लोक सूचना अधिकारी किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी गई सूचना का प्रकटन करना चाहता है जिसे तीसरे पक्ष ने गोपनीय माना है, तो लोक सूचना अधिकारी सूचना का प्रकटन करने से पहले तीसरे पक्ष को इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा। तीसरे पक्ष को लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने का और यदि वह विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सम्बन्धित सूचना आयोग के पास दूसरी अपील करने का अधिकार है। जब तक धारा 11 में निर्धारित क्रियाविधि पूरी नहीं कर ली जाती लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं कर सकता।

3. अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ध) क अनुसार, 'तीसरे पक्ष' की परिभाषा में लोक प्राधिकरण भी शामिल हैं। 'तीसरे पक्ष' की परिभाषा और धारा 11 से यह स्पष्ट है कि यदि कोई लोक प्राधिकारी 'क्ष' किसी दूसरे लोक प्राधिकरण 'त्र' से कोई ऐसी सूचना प्राप्त करता है जिसे कि उस लोक प्राधिकरण ने गोपनीय माना है, तो 'क्ष' तीसरा पक्ष 'त्र' के परामर्श के बिना और अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण किये बिना सम्बन्धित सूचना का प्रकटन नहीं कर सकता। यह एक सांविधिक अपेक्षा है जिसका अनुपालन नहीं करने पर लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

4. लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना का प्रकटन करने के बारे में निर्णय लेते समय इस अधिनियम के प्रावधानों का सामान्य रूप से और यदि तीसरा पक्ष लोक प्राधिकरण है तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।"

6. कई स्थानों पर रिकॉर्डों के सुव्यवस्थित ढंग से रख रखाव के अभाव में लोक–सूचना अधिकारी अधूरी सूचना प्रदान कर देते हैं जो कई स्थानों पर भ्रामक सिद्ध होती है। यह प्रश्न समय–समय पर उठता रहा है कि सरकार ने ऐसे अधिकारियों के लिये क्या निर्देश दिये हैं?

इस सम्बन्ध में सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 12/192/2009 आई.आर. दिनांक 20 जनवरी, 2010 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है:–

"केन्द्रीय सूचना आयोग ने एक मामले में कहा है कि रिकॉर्डों के सुव्यवस्थित ढंग से रखरखाव के अभाव में लोक सूचना अधिकारी अधूरी और भ्रामक सूचना दे देते हैं। ऐसा इसलिये हो रहा है क्योंकि लोक प्राधिकरण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) का पालन नहीं करते। अधिनियम के इस प्रावधान में प्रत्येक लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने रिकॉर्डों को विधिवत् सूचीबद्ध करें और वे इनकी ऐसे रूप में निर्देशिका (इंडेक्स) बनाएं कि सूचना का अधिकार सुकर बने। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी त्रुटि के लिए सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को, शिकायकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ सकता है। स्मरणीय है कि अधिनियम की धारा 19(8)(ख) आयोग को सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों से शिकायतकर्ता को किसी नुकसान अथवा क्षति की प्रतिपूर्ति करने की शक्ति प्रदान करती है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की सफलता के लिए रिकॉर्डों का उचित रखरखाव महत्वपूर्ण है किन्तु इस विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद बहुत से लोक प्राधिकरणों ने इस विषय पर उचित ध्यान नहीं दिया है। मुझे, सभी मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि वे अपने अधीन सभी लोक प्राधिकरणों को अवलिम्ब अधिनियम की धारा 4 की अपेक्षाओं का और खास तौर से धारा 4 की उपधारा–(1) के खण्ड (क) का पालन करने का निदेश दें।"

7. **ऐसा भी पाया गया है कि कई लोक–सूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधान का संदर्भ देते हुये सूचना के लिये आवेदन पत्रों का अन्य अधिकारियों के पास स्थानान्तरित कर देते हैं तथा उन्हें निदेश देते हैं कि वे ही मानित लोक सूचना अधिकारी के रूप में आवेदनकर्ता को सूचना भेजें। इस प्रकार वे धारा 5(4) तथा 5(5) के उपबंधों का प्रयोग अन्य अधिकारियों लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करने के लिये करते हैं। यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा करना उचित है?**

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1/14/2008/आई.आर. दिनांक 28 जलुाई, 2008 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है:–

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उपधारा (4) और (5) के प्रावधान के अनुसार अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन हेतु लोक सूचना अधिकारी किसी अन्य अधिकारी से सहायता मांग सकता है। जिस अधिकारी से इस तरह सहायता मांगी जाती है, उसे लोक सूचना अधिकारी को सहायता प्रदान करनी होगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में उसे लोक सूचना अधिकारी ही समझा जाएगा। इस विभाग के ध्यान मे लाया गया है कि कई लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान का संदर्भ देते हुए सूचना के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को अन्य अधिकारियों के पास स्थानान्तरित कर देते हैं तथा उन्हें निदेश देते है कि वे ही मानित लोक सूचना अधिकारी के रूप में आवेदनकर्ता को सूचना भेंजे। इस प्रकार वे उपर्युक्त संदर्भित प्रावधान का प्रयोग अन्य अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करने के लिये करते हैं।

अधिनियम के अनुसार, सूचना प्रदान करने अथवा अधिनियम की धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कारणों से आवेदन पत्र को निरस्त करना उस अधिकारी का दायित्व है जिसे लोक प्राधिकरण ने लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है। अधिनियम ने लोक सूचना अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी से सहायता मांगने का प्रावधान इसलिये किया है ताकि वह आवश्यक सूचना सहज प्राप्त कर सके। किन्तु अधिनियम उसे किसी अन्य अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करने या आवेदनकर्ता को उत्तर भेजने हेतु निदेशित करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है। धारा 5 की उपधारा (5) का अभिप्राय यह है कि यदि ऐसा अधिकारी सहायता प्रदान नहीं करे तो सूचना आयोग ऐसे अधिकारी पर उसी तरह से शास्ति लगा सकता है अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है जिस तरह से आयोग किसी लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगा सकता है अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।"

8. यह प्रश्न समय–समय पर उठता है कि क्या कोई संगठन, संस्थान, निगम, संघ, कम्पनी, फर्म आदि (*जो वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत आते है*) भी सूचना का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं?

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1/69/2007–आई.आर. दिनांक 27 फरवरी, 2007 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है:–

''.....अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अधिनियम में निगम, संघ, कम्पनी आदि को, जो वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अन्तर्गत तो आते हैं, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जाता है, जो भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दी जायेगी, बशर्ते वह अपना नाम इंगित करे। ऐसे मामले, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गई है.....''

9. क्या भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 तथा 9 के अन्तर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट के सम्बन्ध में भी कोई दिशा निर्देश जारी किये है?

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1/69/2007–आई.आर. दिनांक 27 फरवरी, 2007 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है:–

''..... इस अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) और धारा 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। फिर भी, धारा 8 की उप–धारा (2) में यह प्रावधान है कि उप–धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत छूट प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता यदि प्रकटीकरण से, संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहत्तर लोक हित सधता हो। इसके अलावा धारा 8 की उप–धारा (3) में यह प्रावधान है कि उप–धारा (1) के खण्ड (क) और (झ) में उपबन्धित सूचना के सिवाय उस वर्ष के बाद प्रकटीकरण से मुक्त नहीं रहेगी।

स्मरणीय है कि अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार लोक प्राधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि अभिलेखों को अनन्त काल तक सुरक्षित रखें। लोक प्राधिकरण को प्राधिकरण में लागू अभिलेख धारण अनुसूची के अनुसार ही अभिलेखों को संरक्षित रखना चाहिए। किसी फाइल में सृजित जानकारी फाइल / अभिलेख के नष्ट हो जाने के बाद भी कार्यालय ज्ञापन अथवा पत्र अथवा किसी भी अन्य रूप में मौजूद रह सकती है। अधिनियम के अनुसार यह अपेक्षित है कि धारा 8 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत–प्रकटन से छूट प्राप्त होने के बावजूद भी, 20 वर्ष बाद इस प्रकार उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करा दी जाय। अर्थ यह है कि ऐसी जानकारी जिसे सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है, जानकारी से सम्बन्धित घटना के घटित होने के 20 वर्ष बाद ऐसी छूट से मुक्त हो जायेगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकार की जानकारी के लिये प्रकटन से छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी जानकारी को किसी नागरिक को देना बाध्यकारी नहीं होगा–

क. ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित, विदेश के साथ सम्बन्ध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हो अथवा कोई अपराध भड़कता हो,

ख. ऐसी जानकारी जिसके प्रकटन से संसद अथवा राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार की अवहेलना होती हो, अथवा

ग. अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) के खण्ड (झ) के प्रावधान में दी गई शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श सहित मंत्रिमण्डलीय दस्तावेज.....''

10. यह प्रश्न भी समय–समय पर उठता है अन्य विधियों की तुलना में सूचना का अधिकार अधिनियम कितना प्रभावी है विशेषतः जब किसी अन्य कानून में ऐसे प्रावधान उपस्थित हों जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत हैं?

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1/69/2007–आई.आर. दिनांक 27 फरवरी, 2007 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया है:–

''..... सूचना का अधिकार अधिनियम का अन्य विधियों की तुलना मे अधिभावी प्रभाव है। शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 और तत्काल प्रभावी किसी अन्य कानून में ऐसे प्रावधान, जो सूचना का अधिकार अधिनियम प्रावधानों से असंगत है, की उपस्थिति की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे.....''

11. यदि लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वतः ही समुचित सूचना प्रकट एवं प्रकाशित कर दी जाय तो इस अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों की संख्या में प्रचुर मात्रा में कमी आ सकती है। अतः समय–समय पर यह प्रश्न भी उठता रहा है कि क्या सूचना का अपनी ओर से प्रकटन के लिये लोक प्राधिकरणों को सरकार की ओर से कोई निर्देश मिले हैं?

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1/69/2007–आई.आर. दिनांक 27 फरवरी, 2007 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया हैः–

''..... अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिये अपने संगठन, इसके क्रियाकलापों, कर्तव्यों और अन्य विषयों आदि के ब्यौरों का स्वतः प्रकटन करना बाध्यकारी है। धारा 4 की उप–धारा (4) के अनुसार, इस प्रकार से प्रकाशित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास सुलभ होनी चाहिए। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को यह सुनिश्चत करने का भरसक प्रयास करना चाहिए कि लोक प्राधिकारी द्वारा धारा 4 की अपेक्षाएं पूरी की जाएं और लोक प्राधिकरण के सम्बन्ध में अधिकतम सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध की जायं। इससे दो लाभ होंगे। प्रथम, अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों की संख्या में कमी आएगी और द्वितीय, यह सूचना प्रदान करने के कार्य को सुकर बनाएगा, क्योंकि अधिकतम सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी.....''

12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अनुसार सूचना आवेदन के साथ विहित शुल्क जमा कराने का वर्णन है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न भी जन मानस के समक्ष समय–समय पर आता है कि इस विहित शुल्क का विवरण क्या है तथा यह कहां पर वर्णित है?

विहित शुल्क से सम्बन्धित विवरण ''सूचना का अधिकार *(शुल्क और लागत का विनियमन)* नियमावली, 2005 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1/69/2007–आई.आर. दिनांक 27 फरवरी, 2007 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिया हैः–

सूचना मांगने का शुल्क

आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि वह अपने आवेदन पत्र के साथ सूचना मांगने का निर्धारित शुल्क 10/–रूपये (दस रूपये) मांग पत्र अथवा बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम से भेजे। शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी अथवा केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को नकद भी किया जा सकता है। ऐसे में आवेदनकर्ता को उपयुक्त रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

सूचना की आपूर्ति के लिये सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान भी किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

क. सृजित अथवा फोटोकॉपी किये हुये प्रत्येक पेज (ए4 अथवा ए3 आकार) कागज के लिये दो रूपये (2/–रूपये)

ख. बड़े आकार के कागज में कापी का वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत,

ग. नमूने या मॉडलों के लिये वास्तविक प्रभार अथवा कीमत,

घ. अभिलेखों के निरीक्षण के लिये, पहले घण्टे के लिये कोई शुल्क नहीं और बाद के प्रत्येक घण्टे (या उसके खण्ड) के लिये पांच रूपये का शुल्क (5/–रूपये)

ड. डिस्केट अथवा फ्लॉपी में सूचना प्रदान करने के लिये प्रत्येक डिस्केट अथवा फ्लॉपी पचास रूपये(50/–रूपये)

च. मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिये, ऐसे प्रकाशन के लिये नियम मूल्य अथवा प्रकाशन के उद्धरणों की फोटोकॉपी के दो रूपये प्रति पृष्ठ।

13. 'सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005' के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदक की यथा सम्भव सहायता करें। परन्तु कुछ व्यक्तियों की यह शिकायत रही है कि कुछ स्थानों पर लोक सूचना अधिकारी आवेदक के साथ उचित व्यवहार नही करते हैं।यह प्रश्न समय–समय पर उठता रहा है कि सरकार ने ऐसे अधिकारियों के लिये क्या निर्देश दिये हैं?

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपने ज्ञापन संख्या 1/69/2007—आई.आर. दिनांक 27 फरवरी, 2007 तथा संख्या—4/9/2008—आईआर दिनांक 24 जून, 2008 के माध्यम से निम्न स्पष्टीकरण दिये है:—

''.....केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह अंग्रेजी अथवा हिन्दी जिस क्षेत्र में आवेदन किया जाना है, उस क्षेत्र की राजकीय भाषा मे लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना निवेदन प्रस्तुत करे। यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप से निवेदन देने में असमर्थ है, तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में आवेदन तैयार करने में युक्तियुक्त सहायता करे।

यदि किसी दस्तावेज को, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त व्यक्ति को उपलब्ध कराना अपेक्षित है, तो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को समुचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह सूचना प्राप्त करने में सक्षम हो सके। यदि दस्तावेज की जांच करनी हो, तो उस व्यक्ति को ऐसी जांच के लिये उपयुक्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए.....''

''.....केन्द्रीय सूचना आयोग ने इस विभाग को सूचित किया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों के अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसी लोक प्राधिकरण और उसके लोक सूचना अधिकारियों का उत्तरदायित्व मांगी गई सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे सूचना माँगने वाले व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करें। किसी व्यक्ति को सूचना या सहायता प्रदान करते समय उसके साथ भद्र व्यवहार किया जाना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए।

2. अनेक संगठन/प्रशिक्षण संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लोक सूचना अधिकारी तथा अन्य अधिकारी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लें। लोक प्राधिकरण भी अपने स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षणों में अधिकारियों को सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्र व्यवहार करने के महत्व को रेखांकित किया जाना चाहिए।

3. आयोग ने इस तथ्य पर भी चिंता जताई है कि कई लोक प्राधिकरणों ने अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत संगत जानकारी प्रकाशित नहीं की है। सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार सूचना का स्वतः प्रकटन अब बिना किसी विलम्ब के हो जाए। यह एक कानूनी आवश्यकता है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए.....''

————————————————————————————————————

भाग–स

आयकर विभाग
से सम्बन्धित
केन्द्रीय सूचना आयोग
के
कुछ महत्वपूर्ण निर्णय

श्री मिलाप चोड़ारिया
बनाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

केस संख्या CIC/AT/A/2008/00628
दिनांक 15.06.2009
पीठ श्री ए.एन. तिवारी, श्री एम.एम. अंसारी, श्री एम.एल.शर्मा, श्री एस.एन. मिश्रा, श्री वजाहत हबीबुल्लाह

निर्णय सार

आवेदक की पुत्र वधु ने आवेदक के परिवार पर घरेलू–हिंसा तथा दहेज सम्बन्धी मुकदमें दाखिल किये। आवेदक ने इन मुकदमों के आरोपों को झूठा करार देते हुये तथा इस मामलों को वृहत 'लोक–हित' का मामला बताते हुये आयकर विभाग से अपनी पुत्रवधु के परिवार वालों की आयकर विवरणियों सम्बन्धी सूचना की मांग की जिसे धारा 8(1)(d), (e), (g) तथा (j) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया गया।

आयोग के समक्ष आयकर विभाग द्वारा यह पक्ष रखा गया कि आयकर अधिनियम की धारा 138 को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार से आयकर विवरणियों का प्रकटन एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करेगा क्योंकि इन आयकर विवरणियों का दुरूपयोग भी हो सकता है। आयकर विभाग ने यह भी कहा कि आवेदक न्यायालय के माध्यम से भी इन आयकर विवरणियों की प्रति मांग सकता है।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि मांगी गई सूचना 'निजी सूचना' है तथा धारा 8(1)(j) के अन्तर्गत प्रकटन से मुक्त है।

श्री कमल आनन्द
बनाम
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

केस संख्या CIC/AT/A/2007/00617
दिनांक 11.02.2008
पीठ श्री वजाहत हबीबुल्लाह, श्री एम.एम. अंसारी, श्री ए.एन. तिवारी

निर्णय सार

आवेदक ने स्क्रूटनी चयन नीति के सम्बन्ध में निर्देशों तथा स्पष्टीकरणों के विषय में जानकारी हेतु आवेदन किया जिसे धारा 8(1)(a) के अन्तर्गत अस्वीकृत कर दिया गया।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि यह लोक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है कि वह यह निर्णय लें कि कौन सी सूचना के प्रकटन से राज्य के आर्थिक हितों को क्षति पहुंच सकती है।

इस केस में शीर्षस्थ लोक प्राधिकारी (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा सम्बन्धित विषय पर विचार कर निर्णय लिया गया है। अतः इस पर आयोग द्वारा पुर्नविचार करना उचित नहीं है। ऐसे केसों में यदि सम्बन्धित लोक प्राधिकारी द्वारा बिना सोच विचार के मैकेनिकल या मनमाने तरीके से निर्णय लिया जाय तो उसे स्थिति में ही आयोग द्वारा हस्तक्षेप उचित है अन्यथा आयोग द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः उक्त केस में धारा 8 के अन्तर्गत सूचना को अस्वीकार करना न्यायोचित है।

श्री जी.आर. रावल, अहमदाबाद बनाम आयकर महानिदेशक (जांच)

केस संख्या CIC/AT/A/2007/00490
दिनांक 05.03.2008
पीठ श्री वजाहत हबीबुल्लाह, श्री एम.एम. अंसारी, श्री ए.एन. तिवारी

निर्णय सार

आवेदक ने सेटलमेन्ट कमीशन के निर्णय के अनुपालन में एक कम्पनी *(जिसके यहां तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही में वह इन्फारमर था)* द्वारा अदा किये जाने वाले कर के विषय में जानकारी चाही थी। 'लोक सूचना अधिकारी' ने इसे 'निजी सूचना' बताते हुये आवेदन को धरा 8(1)(j) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने भी आयकर अधिनियम की धारा 138 का संदर्भ लेते हुये 'लोक सूचना अधिकारी' के उक्त निर्णय को सही ठहराया।

आयोग ने इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय दिया। आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'चन्द प्रकाश तिवारी बनाम शकुन्तला शुक्ला, एआईआर, 2002, के केस में दिये गये निर्णय का संदर्भ लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यदि दो अधिनियमों के प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के विपरीत न हों, तो एक विधिक प्रावधान दूसरे विधिक प्रावधान को प्रभावहीन बना देता है तथा 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के लागू होने के पश्चात् आयकर अधिनियम की धारा 138(1)(b) के प्रावधान प्रभावहीन हो गये हैं।

'निजी सूचना' तथा 'वृहत लोक–हित' के विषय में भी आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। आयोग ने टिप्पणी की कि 'निजी सूचना' शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी व्यक्ति के 'नाम', 'पता, 'पेशा', 'शारीरिक एवं मानसिक स्थिति', 'चिकित्सीय स्थिति', आर्थिक स्थिति' के लिये किया जाता है। किसी व्यक्ति के शौक जैसे 'चित्रकारी', 'संगीत', 'खेल' आदि के संदर्भ में भी 'निजी सूचना' शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यह 'निजी सूचनायें' सामान्यतः तब तक गुप्त रखी जानी चाहिये–जब तक सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं इनके प्रकटन की अनुमति न दे। परन्तु कभी–2 इनका प्रकटन लोक हित में आवश्यक हो जाता है जैसे यदि कोई किसी सरकारी पद पर आसीन है तथा उसकी सत्यनिष्ठा के विषय में आशंका है – तो उसकी आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार यदि यह आशंका हो कि किसी व्यक्ति को पदासीन करने के लिये कुछ नियमों अथवा कानूनों का उल्लंघन किया गया है तो उसकी 'शैक्षणिक स्थिति' के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि इस सम्बन्ध में कोई पूर्ण दिशा निर्देश अथवा नियम बनाना संभव नहीं है तथा 'निजी सूचना का प्रकटन' हर केस के अपने विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा।

आयकर 'कर–निर्धारण' के सम्बन्ध में आयोग ने कहा कि यह 'निजी सूचना' के अन्तर्गत आता है तथा इसे केवल अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण लोक–हित *(Overriding Public Interest)* की स्थिति में ही प्रकट करना चाहिये।

अन्त में इस केस में आयोग ने यह निर्णय दिया कि आवदेक को कम्पनी के 'कर–दायित्व' तथा कम्पनी द्वारा अदा किये गये कर के विषय में जानकारी दी जाय। परन्तु कर–निर्धारण से सम्बन्धित शेष विवरण प्रकट न किया जाये।

श्री एस. पी. गोयल बनाम आयकर विभाग, मुम्बई

केस संख्या CIC/AT/A/2007/01326
दिनांक 16.07.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने आयकर आयुक्त (अपील) से किसी अपीलीय निर्णय के पक्ष में रहे कारणों के विषय में जानना चाहा था तथा यह भी जानना चाहा था कि अपीलीय कार्यवाही के दौरान कुछ विशेष तथ्यों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया।

आयोग ने निर्णय दिया कि लोक सूचना अधिकारी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य नहीं है।

श्री आर.के. सरकार बनाम आयकर विभाग

केस संख्या CIC/AT/A/2007/01553
दिनांक 23.06.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने एक अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान आठ माह के समय की देरी के पथ्य में रहे कारणों के विषय में जानना चाहा था। आयोग ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय दिया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना धारा 2(f) के अन्तर्गत 'सूचना' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती है।

श्री वसन्त शंकर पटवर्धन, मुम्बई बनाम आयकर विभाग, मुम्बई

केस संख्या CIC/AT/A/2007/00349
दिनांक 21.06.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना 'लोक–सूचना अधिकारी' द्वारा प्रदान की गई। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा, लोक सूचना अधिकारी से यह 'प्रमाण–पत्र' मांगा गया कि 'प्रदत्त सूचना' में समस्त आन्तरिक/वाह्य पत्राचार, फाइल नोटिंग, अनुशंसा आदि सम्मिलित हैं।

आयोग ने निर्णय दिया कि आवेदक द्वारा 'प्रमाण–पत्र' की मांग उचित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी 'सूचना' देने के लिये बाध्य है, 'प्रमाण–पत्र' देने के लिये नहीं।

श्री तरून पटवा
बनाम
आयकर निदेशक (छूट), दिल्ली

केस संख्या CIC/AT/A/2006//00584
दिनांक 20.02.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने अन्य ट्रस्टों का उदाहरण देते हुये इस विषय पर विधिक स्थिति (*Legal position*) के सम्बन्ध में जानकारी के लिये आवेदन किया।

इस सम्बन्ध में आयोग ने निर्णय दिया कि आवेदक ने विधिक मामलों पर लोक–प्राधिकारी की 'राय' मांगी है तथा 'लोक सूचना अधिकारी' यह 'सूचना' देने के लिये बाध्य नही है।

श्री एस.पी. गोयल
बनाम आयकर (जांच), लुधियाना

केस संख्या CIC/AT/A/2007/00018
दिनांक 26.02.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक द्वारा 'लोक–प्राधिकारी' को उसके द्वारा लिखे गये पत्रों की 'प्रमाणित प्रतिलिपि' मांगी गई थी। आयोग ने यह निर्णय दिया कि चूंकि आवेदक ने यह पत्र स्वयं लोक–प्राधिकारी को लिखे थे अतः उसके पास इन पत्रों की प्रतिलिपियां उपलब्ध होनी चाहिये तथा उसके द्वारा इनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां मांगा जाना उचित नहीं है।

श्री राकेश कुमार गुप्ता, दिल्ली बनाम आयकर अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली

केस संख्या CIC/AT/A/2007/00185
दिनांक 18.09.2006
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

इस महत्वपूर्ण निर्णय में आयोग ने स्पष्ट किया कि 'कानून' तथा 'नियमों' के विधिक भावार्थ (*Legal Interpretation*) को जानने के लिये 'सूचना का अधिकार अधिनियम' का प्रयोग करना उचित नहीं है क्योंकि 'कानून' तथा 'नियम' अपने आप में 'सूचना' है– जो आम जनता को उपलब्ध है।

श्री राकेश मन्नालाल कटारिया
बनाम
आयकर अपर आयुक्त, पुणे

केस संख्या CIC/AT/A/2007/01496
दिनांक 16.05.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

मुख्य आयकर आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजी गई जो उनके द्वारा आगे 'केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड' को भेज दी गई। आवेदक ने उक्त रिपोर्ट की 'प्रति' के लिये आवेदन किया जो इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि कोई भी रिपोर्ट जब उच्चाधिकारियों को प्रदान कर दी जाती है, तो वह 'उच्चाधिकारियों' के नियंत्रण में आ जाती है तथा ऐसे में सम्बन्धित उच्चाधिकारियों से ही 'सूचना' मांगी जानी चाहिये।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि धारा 2(j) की भावना के अनुसार यह 'सूचना' केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड' के स्वामित्वाधीन है तथा इसके लिये आवेदक को बोर्ड के समक्ष ही आवेदन करना चाहिये।

श्री बी0 प्रेमनन्दन
बनाम
आयकर, बैंगलोर

केस संख्या CIC/AT/A/2006/00643
दिनांक 26.02.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक द्वारा आयकर आयुक्त, बैंगलोर को डाक से भेजा गया आवेदन डाक–विभाग द्वारा वापिस कर दिया गया। इस सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि बैंगलोर में कई आयकर आयुक्त पदस्थापित हैं तथा लिफाफे पर यह नहीं लिखा हुआ था कि वह पत्र कौन से आयकर आयुक्त को सम्बोधित है।

आयोग द्वारा यह निर्णय दिया गया कि विभाग का तर्क 'संभावना के घेरे' के भीतर है।

लक्ष्मीबाई जे. झमतानी एवं अन्य
बनाम
आयकर विभाग

केस संख्या CIC/AT/A/2008/00159 to 00168
दिनांक 17.06.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने 'तलाशी एवं जब्ती' (*Search & Seizure*) के कुछ केसों में आयकर महानिदेशालय द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्टों *(Appraisal Reports)* की प्रति मांगी जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इन केसों में कर निर्धारण प्रक्रिया अभी जारी है।

आयोग ने निर्णय दिया कि कर दायित्व के निर्धारण से पूर्व की स्थिति में उक्त सूचना का प्रकटन 'कर निर्धारण तथा जांच प्रक्रिया' को प्रभावित कर सकता है। अतः यह उक्त सूचना को धारा 8(i)(h) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है।

श्री जे.पी. शर्मा, मुम्बई
बनाम
आयकर आयुक्त, बैंगलोर–II, बैंगलोर

केस संख्या CIC/AT/A/2006/00543
दिनांक 24.04.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने यह सूचना चाही कि लोक सूचना अधिकारी यह कन्फर्म करे कि किसी तीसरी पार्टी के आयकर विवरणी पर हस्ताक्षर में विसंगति (*discrepancy*) है। आयोग ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि लोक–सूचना अधिकारी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह एक फारेन्सिक एक्सपर्ट की तरह कार्य करे– यद्यपि मुख्य आयकर आयुक्त ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिये हैं तथा जांच के समाप्त होने पर आवेदक इस विषय में सूचना के लिये आवेदन कर सकता है।

श्री दिनेश एल. साल्वी बनाम आयकर महानिदेशालय (जांच)

केस संख्या CIC/AT/A/2008/00240 & 00241
दिनांक 31.07.2006
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने अपने लम्बित बिलों के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के मध्य हुये आन्तरिक विभागीय पत्राचार के सम्बन्ध में सूचना के लिये आवेदन किया।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि साधारण परिस्थितियों में आन्तरिक विभागीय पत्राचार के सम्बन्ध में जानकारी दिये जाने के पक्ष में आयोग नहीं है। परन्तु जहां भी रिकार्ड से यह स्पष्ट होता है– कि कोई अन्याय हुआ है। अतः वहां इस नियम को तोड़ना होगा। इस केस में आवेदक के बिल पास होने में अनावश्यक देरी हुई है। अतः लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को वह फाइल दिखानी चाहिये जिसमें दो अधिकाारियों के मध्य पत्राचार का विवरण दर्ज है।

सुश्री अल्का मेहता, नई दिल्ली बनाम आयकर

केस संख्या CIC/AT/A/2007/00781
दिनांक 10.12.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आयोग ने इस महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि कर–अपवंचना के विषय में केवल लिखने भर से किसी केस में स्वतः ही 'लोक हित' नहीं बन जाता। यदि किसी उच्चाधिकारी ने स्वतः ही किसी केस को रिवीजन हेतु चयनित भी किया है, तब भी इसका अर्थ यह नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बदनीयती से कार्य किया है।

अतः इन तथ्यों के आधार पर वर्णित लोक हित धारा 8(2) अथवा 8(1)(i) को प्रावधानों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता।

आयोग ने यह भी निर्णय दिया कि आवेदक की यह आंशका कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया कर–निर्धारण आवेदक की 'पुरस्कार' की संभावनाओं को कम करता है–इसे न तो लोक हित (*Public Interest*) माना जा सकता है, न ही लोक प्रयोजन (*Public Purpose*), 'तीसरी पार्टी' से सम्बन्धित सूचना एक मूल्यवान विशेषाधिकार (*Valuable Privilege*) है जिसे कम कर के नहीं आंका जा सकता।

श्री अनिल चिन्तामण खरे, नागपुर
बनाम
आयकर

केस संख्या CIC/AT/A/2007/00921
दिनांक 10.12.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की आयकर विवरणियों की प्रतियों हेतु यह कहते हुये आवेदन किया कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन पर आयकर का दायित्व नहीं बनता है तथा जो भी आयकर अदा किया गया है वह विदर्भ क्रिकेट एसोसियेशन के खराब प्रबंधन का परिणाम है।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि आयकर विवरणी तथा निर्धारण सम्बन्धी सूचना का प्रकटन करते समय पूर्ण सर्तकता बरतनी चाहिये। केवल दोषारोपण से ऐसा 'लोक–हित' सिद्ध नहीं होता जो धारा 8 (2) के प्रावधानों से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो।

श्री प्रीतपाल सिंह चन्दोक
बनाम
आयकर निदेशालय (जांच)

केस संख्या CIC/AT/A/2008/00083
दिनांक 16.07.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने 'तलाशी एवं जब्ती' (*Search & Seizure*) के केस में आयकर विभाग द्वारा जब्त किये गये कागजातों की प्रति मांगी।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि मांगी गई सूचना आवेदक को आयकर अधिनियम की धारा 132(9) के अन्तर्गत भी उपलब्ध है। चूंकि सूचना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी प्राप्त हो सकती है, अतः इसके लिये सूचना का अधिकार अधिनियम का आश्रय लेना उचित नहीं है।

श्री मिलप चोड़ारिया बनाम आयकर, कोलकाता

केस संख्या CIC/AT/A/2007/00099
दिनांक 09.04.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक का आवेदन 'लोक–सूचना अधिकारी' द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात् 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' ने केस को 'लोक–सूचना अधिकारी' को रिमाण्ड पर पुर्नविचार के लिये वापिस कर दिया। 'लोक–सूचना अधिकारी' ने फिर से आवेदन को अस्वीकार कर दिया तथा आवेदक ने केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील दाखिल की।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि आवेदक को केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील फाइल करने से पहले धारा 19(1) के अन्तर्गत पुनः अपील फाइल करनी चाहिये।

श्री दिवेश भट्ट बनाम
आयकर विभाग

केस संख्या CIC/AT/A/2008/00217
दिनांक 07.07.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने एक तीसरी पार्टी का आयकर सम्बन्धी विवरण यह कहते हुये मांगा कि उसके विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति का केस भ्रष्टाचार–निरोधक कानून के तहत चल रहा है।

आयोग ने इस सम्बन्ध में निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के विषय में चल रही जांच उसकी अपनी निजी सूचना गुप्त रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती।

श्रीमती सिल्वी शंमुगम
बनाम
आयकर विभाग

केस संख्या CIC/AT/A/2008/00117
दिनांक 20.06.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आयोग ने यह निर्णय दिया कि पति के विषय में पत्नी *(जिसके साथ पति के कोर्ट–केस चल रहे हैं)* द्वारा मांगी गई सूचना में ऐसा कोई 'लोक–हित' नहीं है जिससे कि इस सूचना के प्रकटन सम्बन्धी छूट सम्बन्धी प्रावधानों पर प्रभाव पड़ता हो। आयोग ने यहां पर अपने एक पूर्व निर्णय *(बी.बी.ए.राव बनाम आयकर विभाग अपील नं0 CIC/AT/A/2006/00592 दिनांक 31.01.2007)* का भी संदर्भ लिया।

मै0 अनुमेहा, एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्मस, नई दिल्ली
बनाम
आयकर

केस संख्या CIC/AT/A/2007/01029, 01263 to 01270
दिनांक 29.04.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने कुछ राजनीतिक पार्टियों की वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक की आयकर विवरणियों के विषय में जानकारी मांगी तथा सम्बन्धित राजनीतिक पार्टियों के पैन सम्बन्धी जानकारी मांगी।

चूंकि मामला तीसरी पार्टी से सम्बन्धित था, अतः आयोग ने तीसरी पार्टियों को सुनवाई का मौका दिया तथा सम्बन्धित पार्टियों ने इसका विरोध किया।

आयोग ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय दिया कि राजनीतिक पार्टियों के सम्बन्ध में पारदर्शिता लोकतंत्र के हित में आवश्यक है। आयोग ने लोक–सूचना अधिकारी को सभी सम्बन्धित राजनीतिक पार्टियों के सम्बन्धित समयाविधि के रिर्टन तथा कर निर्धारण आदेशों की प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया परन्तु साथ ही यह भी आदेश दिया कि राजनीतिक पार्टियों के पैन के विषय में सूचना नहीं दी जाये।

डा0 रूप, रूप नेत्रालय, मेरठ
बनाम
आयकर महानिदेशक (जांच)

केस संख्या CIC/AT/A/2007/01023
दिनांक 20.12.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने मुख्यतः तीन सूचनायें मांगीः–

(i) सर्च के दौरान तथा सर्च के उपरान्त उसके बयानों की प्रति।
(ii) सर्च–वारंट की प्रति।
(iii) जाँच फाइल देखने की अनुमति।

इस केस में आयोग ने निम्न महत्वपूर्ण निर्णय दियेः–

क. सर्च के दौरान तथा सर्च के पश्चात् लिये गये बयानों की प्रति निर्धारिती को उपलब्ध करावाई जाये।

ख. आयोग ने आयकर विभाग की इस आपत्ति को नहीं माना कि सर्च–वारंट की कापी प्रदान करना आयकर नियमों के अनुसार प्रतिबंधित है। आयोग ने टिप्पणी की कि चूंकि सर्च वांरट को निर्धारिती को दिखाया जाता है तथा उस पर हस्ताक्षर लिये जाते हैं। अतः इसकी प्रति न दिये जाने के नियम का कोई आधार नहीं है तथा चूंकि यह 'प्रकटन से छूट' सम्बन्धी प्रावधानों की परिधि में नहीं आता है। अतः आयोग को आयकर के यह नियम मान्य नहीं है तथा सूचना का प्रकटन होना चाहिये।

ग. निर्धारिती के केस में 'कर–निर्धारण' अभी लम्बित है *(जिसे जांच प्रक्रिया ही माना जाना चाहिये)* अतः यह स्थिति धारा 8(*1*)(*h*) के प्रावधानों को आकर्षित करती है तथा सूचना का प्रकटन नहीं होना चाहिये।

नोटः– (यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2007 में दिया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2008 में आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) के कार्यालय को अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है तथा वर्तमान में विभाग के अन्वेषण विंग से सम्बन्धित सूचना नहीं मांगी जा सकती है।

श्री अनिल कुमार शर्मा
बनाम
आयकर, जबलपुर

केस संख्या CIC/AT/A/2006/00648
दिनांक 04.04.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आयोग ने यह निर्णय दिया कि यदि जांच या अभियोजन की प्रक्रिया जारी हो तो धारा 8(1)(h) के प्रावधान आकर्षित होते हैं तथा ऐसी स्थिति में सूचना का प्रकटन नहीं होना चाहिये।

यदि उक्त स्थिति नहीं है तो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट का मुख्य भाग सम्बन्धी सूचना (*सम्बन्धित अधिकारियों के नाम तथा अन्य विवरण छोड़कर*) धारा 10(1) के अन्तर्गत पृथक्कीकरण के प्रावधानों का पालन करते हुये प्रदान कर देनी चाहिये।

श्री मिथलेश जैन
बनाम
आयकर, जबलपुर

केस संख्या CIC/AT/A/2006/00564
दिनांक 09.04.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने उसके 5 रिश्तेदारों की आयकर विवरणियों के विषय में सूचना मांगी जिन पर उसे कर अपवंचना का संदेह था।

आयोग ने निर्णय दिया कि कर–अपवंचना का संदेह को अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण लोक हित नहीं माना जा सकता। यदि आवेदक को उसके रिश्तेदार द्वारा किये गये कर–अपवंचन के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास है तो उसे उचित तरीके से कर –अपवंचना याचिका सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिये।

नीरू बजाज
बनाम
आयकर विभाग, लखनऊ

केस संख्या CIC/AT/A/2006/00644 & CIC/AT/A/2006/00646
दिनांक 21.02.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आयोग ने यह निर्णय दिया कि किसी तीसरी पार्टी की आयकर विवरणी एक 'निजी सूचना' है जिसे धरा 8(1)(j) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है तथा यदि दो पार्टियों के मध्य कोर्ट केस हेतु आवेदक को इसकी आवश्यकता है तो इससे कोई 'लोक हित' सिद्ध नहीं होता।

श्री दीपक जे. मेहता
बनाम
आयकर महानिदेशक (सर्तकता), नई दिल्ली

केस संख्या CIC/AT/A/2006/00463
दिनांक 31.01.2007
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आयोग ने यह निर्णय दिया कि आवेदक के विरूद्ध एक सर्तकता जांच जारी है तथा सर्तकता सम्बन्धी किसी पहलू पर जानकारी इस जांच को प्रभावित कर सकती है अतः धारा 8(1)(h) के प्रावधान यहां लागू होते हैं।

आवेदक ने यह तर्क भी दिया कि उसके द्वारा जनहित के मामलों में निभाई जा रही अच्छी भूमिका के कारण ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में

आयोग ने यह टिप्पणी की उसके विरूद्ध चल रही कार्यवाही उसका 'निजी मामला' है तथा इसका किसी 'लोक–हित' से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मीता सिंह
बनाम
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

केस संख्या CIC/AT/A/2008/00353
दिनांक 21.07.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने आयकर अधिकारियों के स्थानान्तरण तथा तैनाती के सम्बन्ध में प्लेसमेन्ट कमेटी की मीटिंग से सम्बन्धित रिकार्ड, फाइल तथा आर्डर शीट देखने हेतु आवेदन किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि ऐसे सभी अधिकारी जो स्थानान्तरण आदेशों से संतुष्ट नहीं है, सम्बन्धित रिकार्ड यह सुनिश्चित करने के लिये देखना चाहेंगे कि कही उनके साथ भेदभाव तो नहीं हुआ हैं अतः यह आवश्यक है कि प्लेसमेंट सम्बन्धी रिकार्ड तक सम्बन्धित कर्मचारियों की पहुंच हो।

श्री आर.के. सरकार
बनाम
आयकर विभाग

केस संख्या CIC/AT/A/2008/00109
दिनांक 20.06.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने ग्रुप 'ए' अधिकारियों के स्थानान्तरण नीति से सम्बन्धित जानकारी चाही तथा यह भी जानना चाहा कि एक विशेष अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले क्यों स्थानान्तरित कर दिया गया। आवेदक को बताया गया कि सम्बन्धित अधिकारी को 'प्रशासनिक आधार' पर स्थानान्तरित किया गया है तथा वह 'प्रशासनिक आधार' आवेदक को नहीं बताये जा सकते।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि अधिकारियों के स्थानान्तरण में साधारणतयाः नियमों तथा नीतियों का पालन करना चाहिये परन्तु अपवाद स्वरूप कुछ केसों में 'लोक हित' को ध्यान में रखते हुये प्रशासन को कुछ स्थानान्तरण करने का अधिकार है तथा इस केस में प्रदान की गई 'सूचना' में आयोग ने कोई कमी नहीं पायी।

श्री डी. ई. रोबिन्सन
बनाम
आयकर विभाग

केस संख्या CIC/AT/A/2007/01522
दिनांक 27.06.2008
पीठ श्री ए.एन. तिवारी
(वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने चुनाव मे खड़े हुये एक प्रत्याशी के विषय में यह सूचना चाही कि जो शहरी भूमि उस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग के सामने घोषित की है, क्या वह भूमि उसकी धनकर विवरणियों में भी घोषित की गई है?

लोक सूचना अधिकारी ने इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने भी यह निर्णय दिया कि लोक सूचना अधिकारी केवल अपने कार्यालय की सूचनाओं को ही प्रस्तुत कर सकता है अन्य लोक प्राधिकारी *(जैसे चुनाव आयोग)* के अधीन सूचनाओं को नहीं।

आयोग ने इस सम्बन्ध में यह निर्णय दिया कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के तहत 'लोक प्राधिकारी' पर किसी विशेष तरह से सूचना प्रदान करने के लिये दबाव नहीं डाला जा सकता।

साथ ही आयोग ने यह अनुशंसा भी की कि आयकर विभाग तथा चुनाव आयोग ऐसी कोई व्यवस्था बनाने के विषय मे विचार करें जिससे कि एक दूसरे की सूचनाओं का स्वतः ही सत्यापन हो सके।

आयोग ने अपने इस आदेश की प्रति मुख्य चुनाव आयोग, राजस्व सचिव तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी उचित कदम उठाये जाने के निर्देश के साथ भेजी।

श्री फीलिप्स सी. अब्राहम
बनाम
आयकर विभाग, चेन्नई

केस संख्या CIC/LS/C/2009/000128
दिनांक 17.07.2009
पीठ श्री एम.एल. शर्मा

निर्णय सार

आवेदक एक कम्पनी में वेतन भोगी कर्मचारी था। कम्पनी ने आवेदक के वेतन में से टी.डी.एस. काटा परन्तु आयकर विभाग के खाते में जमा नहीं कराया।

आवेदक ने आयकर विभाग से यह सूचना मांगी कि वह उस कम्पनी के समस्त कर्मचारियों के नाम तथा उनके टी.डी.एस. सम्बन्धी सूचना आवेदक को प्रदान करे जिसे धारा 8(1)(j) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया गया।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि कम्पनी के विरूद्ध धोखा–धड़ी एवं फर्जीवाड़े के आरोप स्पष्ट हैं अतः यहां पर धारा 8(1)(j) के प्रावधानों के प्ररिपेक्ष्य में आवेदन अस्वीकार करना मान्य नहीं है।

श्री गुरपीत सिंह
बनाम
आयकर विभाग, लुधियाना

केस संख्या CIC/LS/A/2009/000307
दिनांक 01.09.2009
पीठ श्री एम.एल. शर्मा

निर्णय सार

आवेदक ने यह जानना चाहा था कि उसकी पत्नी तथा उसकी पत्नी के परिवार के लोग आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं या नहीं। लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक के ससुर के विषय में यह सूचना प्रदान नहीं की। आयोग ने 'लोक सूचना अधिकारी' को यह सूचना प्रदान करने के निर्देश दिये।

श्री सुनीत शाह
बनाम
आयकर विभाग

केस संख्या CIC/S/A/2009/000132
दिनांक 16.12.2009
पीठ श्री एम.एल. शर्मा

निर्णय सार

आवेदक ने उसके यहां चली सर्वे की कार्यवाही में शमिल आयकर विभाग के सभी कर्मचारियों का विवरण मांगा। आवेदक ने सर्वे कार्यवाही में शामिल समस्त वाहनों का विवरण (रजिस्ट्रेशन नं0 सहित) भी मांगा तथा यह भी जानना चाहा कि सर्वे टीम के नाश्ते, खाने आदि के खर्च का ब्यौरा भी प्रदान किया जाये।

उक्त आवेदन को यह कहते हुये अस्वीकार कर दिया गया कि सूचना का प्रकटन सर्वे में सम्मिलित अधिकारियों के लिये निजी खतरे का कारण बन सकता है

आयोग ने इस सम्बन्ध में आयकर विभाग के तर्क को खारिज करते हुये निम्न सूचना तीन सप्ताह के भीतर प्रकटन के निर्देश दियेः–

क. सर्वे में सम्मिलित समस्त अधिकारीगण एवं निरीक्षकों के नाम, पदनाम तथा पदस्थापन का विवरण।

ख. उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसके नेतृत्व में सर्वे की कार्यवाही सम्पन्न हुई

ग. सर्वे हेतु कार्य में लिये गये समस्त वाहनों *(विभागीय अथवा किराये पर लिये गये)* का विवरण।

श्री राकेश कुमार गुप्ता, दिल्ली
बनाम
1. आयकर महानिदेशालय (जाँच)
2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली

केस संख्या 182/IC(A)/2006 F. Nos. CIC/MA/A/2006/00294, 298, 332 & 435
दिनांक 17.08.2006
पीठ श्री एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आयोग ने निर्णय दिया कि 'सूचना' उसी रूप में प्रदान करनी चाहिये जिस रूप में वह उपलब्ध है तथा आवेदक की इच्छानुसार 'सूचना' को एक नया रूप देना आवश्यक नहीं है।

आयोग ने यह भी कहा कि जांच की कार्यवाही के परिणाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने चाहिये जिससे कि इस सम्बन्ध में सूचना चाहने वालों को स्वतः ही सूचना प्राप्त हो सके।

श्री हेमन्त कुमार जैन, प्रो0 मै0 अल्फा एक्सपोर्टस, मुम्बई
बनाम आयकर आयुक्त–7, मुम्बई

केस संख्या 316/IC/(A)/2006 F.No. CIC/MA/A/2006/00712
दिनांक 03.10.2006
पीठ प्रे0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आयोग ने यह निर्णय दिया कि आयकर विवरणियाँ निर्धारिती की 'निजी सूचना' है तथा आयकर–निर्धारण आदेशों में निर्धारितों की 'निजी सूचना' तथा 'वाणिज्यिक हितों की सूचना' निहित होती है। अतः धारा 8 (1) (j) के अन्तर्गत उनका प्रकटन नहीं होना चाहिये।

जी.पी. पाठक, जबलपुर बनाम आयकर विभाग–1, जबलपुर

केस संख्या 296/IC(A)/2006 F.No. CIC/MA/A/2006/006071
दिनांक 28.09.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी
(निर्वतमान मुख्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सूचना आयोग)

निर्णय सार

आवेदक ने कमिश्नर द्वारा लिखित 'संतुष्टि नोट' (*satisfaction note*) की कापी मांगी जो धारा 8(1)(d) तथा 8(1)(h) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दी गई। आयोग ने निर्णय दिया कि चूंकि मामले की जांच अभी जारी है, अतः लोक सूचना अधिकारी ने धारा 8(1)(d) तथा (h) के अन्तर्गत छूट का सही इस्तेमाल किया है।

श्री एस.पी. गोयल
बनाम
आयकर निदेशालय (जाँच), लुधियाना

केस संख्या 454/IC(A)/2006 F.No. CIC/MA/A/2006/00372
दिनांक 20.12.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक द्वारा उसके अपने केस में 'तलाशी एवं जब्ती' की कार्यवाही के सम्बन्ध में विभाग द्वारा 'इन्फारमर्स' को दिये गये इनामों के विषय में सूचना मांगी गई थी जो इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि इससे 'इन्फामर्स' के जीवन और स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है।

श्री राकेश कुमार गुप्ता, दिल्ली
बनाम आयकर महानिदेशक (सर्तकता), नई दिल्ली

केस संख्या 50/IC(A)/2006 F.No. CIC/MA/A/2006/00118
दिनांक 01.06.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक ने एक 'कर–अपवंचना याचिका' (*Tax Evasion Petition*) दाखिल की तथा इस विषय में मिलने वाले 'इनाम' के विषय में सूचना चाही आवेदक ने यह भी कहा –कि ''पुरस्कार' न मिलने के कारण उसके लिये 'घर–खर्च' चलाना मुश्किल हो रहा है तथा चूंकि उसका नाम कर–अपवंचको को पता चल गया है, अतः उसकी जान को भी खतरा है। आयोग ने यह निर्णय दिया कि इस विषय में जांच अभी जारी है अतः किसी भी तरह के रिकार्ड का प्रकटन नहीं किया जा सकता।

श्री मुजीब खान बनाम आयकर निदेशालय (छूट)

केस संख्या CIC/MA/A/2006/00870
दिनांक 12.02.2007
पीठ प्रो.0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक ने एक ट्रस्ट द्वारा विभाग के समक्ष दाखिल किये गये कागजात तथा विभाग द्वारा उस ट्रस्ट को दिये गये छूट प्रमाण–पत्र की प्रतियां मांगी गई। विभाग द्वारा ट्रस्ट का दिये गये छूट प्रमाण–पत्र की प्रति आवेदक को प्रदान कर दी गई परन्तु शेष सूचना धारा 11(1) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दी गई।

आयोग ने उक्त स्थिति को न्यायोचित बताते हुये टिप्पणी की कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना में कोई 'लोक हित' नहीं है।

श्री शिवाजी पण्डुरंग रौट बनाम आयकर, पूणे

केस संख्या CIC/MA/A/2006/00806
दिनांक 05.02.2007
पीठ प्रो.0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक ने सतारा जिले के करदातों के 'कर–दायित्व' तथा 'कर अदायगी' के विषय में जानकारी हेतु आवेदन किया जिसे धारा 8(1)(a) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया गया।

आयोग ने निर्णय दिया कि उक्त आवेदन को धारा 8(1)(a) के अन्तर्गत अस्वीकार करना उचित नहीं है। आयोग ने 'लोक सूचना अधिकारी' को करदाताओ की पहचान छिपा कर उक्त सूचना प्रदान करने के निर्देश दिये।

श्री जे.पी. शर्मा बनाम
आयकर आयुक्त, बैंगलोर–2 एवं क्षेत्रीय कार्यालय सिंडिकेट बैंक, बैंगलोर

केस संख्या CIC/MA/A/2006/00610
दिनांक 05.02.2007
पीठ प्रो.0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

एक फर्म के एक पार्टनर ने फर्म की आयकर विवरणियों की प्रतियां मांगी जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

आयोग ने निर्णय दिया कि ऐसे काग़जात हमेशा कानूनी रूप से प्रधिकृत व्यक्तियों को ही देने चाहिये तथा इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति को 'लोक सूचना अधिकारी' को अपने स्तर पर उपलब्ध माध्यमों से सुनिश्चित करना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी बनाम
आयकर, नागपुर

केस संख्या CIC/MA/A/2006/00875
दिनांक 24.01.2007
पीठ प्रो.0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक ने अपने स्वर्गीय पति के टी.डी.एस. सर्टिफिकेटस् की प्रति के लिये आवेदन किया जो अस्वीकृत कर दिया गया।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि आवेदक 'कानूनी उत्तराधिकारी' है अतः यह सूचना धारा 8(1)(j) के अन्तर्गत अस्वीकार नहीं की जा सकती।

श्री धीरज मनीलाल ठक्कर, अहमदाबाद
बनाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

केस संख्या 268/IC(A)/2006 F.No. CIC/MA/A/2006/0541
दिनांक 13.09.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक *(जो एक विभागीय इन्फार्मर था)* ने एक कम्पनी ग्रुप द्वारा अदा किये गये कर सम्बन्धी सूचना मांगी जो उसे 'विभागीय पुरस्कार सम्बन्धी दिशानिर्देशों' का संदर्भ लेते हुये प्रदान नहीं की गई।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि आवेदक को मिलने वाला पुरस्कार इन केसों में की गई कर–वसूली पर निर्भर करता है अतः उसे इस सम्बन्ध में सूचना प्रदान की जानी चाहिये।

श्री कृष्णलाल बंसल, दिल्ली बनाम आयकर, नई दिल्ली

केस संख्या 174/IC(A)/2006 F.No. CIC/MA/A/2006/00460
दिनांक 17.08.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आयोग ने यह निर्णय दिया कि आवेदक द्वारा दाखिल की गई कर अपवंचना याचिका पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का परिणाम आम जनता को जानकारी हेतु उपलब्ध होना चाहिये।

आयोग ने यह भी निर्णय दिया कि कर–निर्धारण आदेशों में निर्धारिती के गुप्त व्यवसायिक तथा आर्थिक हितों का विवरण होता है अतः इनका प्रकटन केवल उन स्थानो पर होना चाहिये जहां से कोई 'वृहत लोक–हित' सिद्ध होता हो।

श्री गुरूप्रसाद मन्दगोपाल उपाध्याय, अकोला
बनाम मुख्य आयकर आयुक्त, नागपरु

केस संख्या 152/IC(A)/2006 F.No. CIC/MA/A/2006/00430
दिनांक 31.07.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक ने दावा किया कि अमुक व्यक्ति ने 'अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राहम्ण महासभा' के माध्यम से जन–धन की हानि की है तथा आयकर की चोरी भी की है। अतः उसके सम्बन्ध में आवेदक को सूचना प्रदान की जाये।

आयोग ने निर्णय दिया कि इस मामले में कोई 'वृहत लोक हित' नहीं है अतः यह 'सूचना धारा 8(1)(d),(e) तथा (j) ने अर्न्तगत प्रकटन से मुक्त है।

श्री अरूण वर्मा, नई दिल्ली
बनाम
आयकर महानिदेशक (पद्धति) नई दिल्ली

केस संख्या 05/IC(A)/CIC/2006
दिनांक 03.03.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आयोग ने निर्णय दिया कि स्थायी खाता संख्या (PAN) एक वैधानिक नम्बर है जो प्रत्येक निर्धारिती के लिये विशिष्ट पहचान नम्बर का कार्य करता है तथा जिसकी पहुंच आम जनता तक होने पर इसका दुरूपयोग हो सकता है। अतः इसका प्रकटन उचित नहीं है।

श्री के. गिरीशा, मैसूर
बनाम
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय

केस संख्या 424/IC(A)/2006 F.No. CIC/MA/A/2006/00782
दिनांक 08.12.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक ने आयकर विभाग के अधिकारियों के वेतन निर्धारण सम्बन्धी कारणों के विषय में जानकारी चाही थी। आयोग ने यह निर्णय दिया कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' में शिकायत दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री डी. एन. कार
बनाम
मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–1

केस संख्या 2183/IC(A)/2008
थ्दनांक 03.04.2008
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक ने सहमति सूची (Agreed List) में उसका नाम शामिल किये जाने के कारण के विषय में जानकारी चाही।

आयोग ने यह निर्णय दिया कि धारा 4(1)(d) के अन्तर्गत हर लोक प्राधिकारी को प्रभावित व्यक्ति को कारण अवश्य बताने चाहिये। यद्यपि सहमति सूची में आना मात्र किसी अनुशासात्मक कार्यवाही का आधार नहीं बन सकता, परन्तु फिर भी प्रभावित व्यक्ति को ऐसी लिस्ट में उसका नाम शामिल किये जाने के पक्ष में रहे कारणों को जानने का अधिकार है।

श्री संजय सिंह,
बनाम
मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली–1

केस संख्या CIC/MA//A/2006/00187
दिनांक 12.06.2006
पीठ प्रो0 एम.एम. अंसारी

निर्णय सार

आवेदक ने एक सेवानिवृत्त आयकर सहायक आयुक्त की सर्विस बुक/निजी फाइल की प्रति मांगी। इसके अतिरिक्त आवेदक ने उसकी नियुक्ति/पदोन्नति तथा चल/अचल सम्पत्तियों, आय–व्यय के ब्योरों की प्रति मांगी। साथ ही उसके विरूद्ध प्राप्त हुयी शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण भी मांगा।

लोक सूचना अधिकारी ने उक्त आवेदन को धारा 8(1)(j) के अन्तर्गत यह कहते हुये अस्वीकार कर दिया कि सर्विस बुक रिकार्ड के अतिरिक्त समस्त सूचनायें 'निजी सूचना' की श्रेणी में आती हैं। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने 'लोक सूचना अधिकारी' के निर्णय को उचित ठहराया।

आवदेक ने आयोग के समक्ष अपील मे यह तर्क भी रखा कि जो 'सूचना' माननीय 'संसद' के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, उसके लिये किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकता है।

आयोग ने उक्त समस्त तथ्यों को रिकार्ड पर रखते हुये यह निर्णय दिया कि आवेदक ने किसी तीसरे व्यक्ति के रिकार्ड तक पहुंच के लिये आवेदन किया है जिसको धारा 8(1)(j) के अन्तर्गत प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि इस मामले में कोई अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण लोक–हित नहीं है।

———————————————————————————————